RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 199
दि. 23.04.2026, गुरुवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

मतदान से पहले चुनाव आयोग का कड़ा संदेश: ईवीएम से छेड़छाड़ पर तुरंत पुनर्मतदान, दोषियों पर सख्त कार्रवाई

कोलकाता/चेन्नई। विधानसभा चुनावों के ठीक पहले भारतीय चुनाव आयोग ने सुरक्षा और पारदर्शिता को लेकर अपने रुख को बेहद सख्त करते हुए साफ संकेत दे दिए हैं कि इस बार किसी भी तरह की गड़बड़ी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में 23 अप्रैल 2026 को होने वाले मतदान से पहले आयोग ने स्पष्ट चेतावनी जारी की है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ को गंभीर चुनावी अपराध माना जाएगा और ऐसे मामलों में तत्काल कार्रवाई के साथ पुनर्मतदान का आदेश भी दिया जा सकता है। आयोग के इस सख्त रुख ने चुनावी माहौल में नई गंभीरता ला दी है और सभी राजनीतिक दलों तथा प्रशासनिक अधिकारियों को सतर्क कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक, आयोग को पिछले चुनावों के दौरान कुछ ऐसी शिकायतें मिली थीं, जिनमें मतदान प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए ईवीएम पर इत्र, परफ्यूम, स्याही या अन्य केमिकल लगाने की कोशिशें की गई थीं। ऐसे कृत्य न केवल मतदान की प्रक्रिया को बाधित करते हैं, बल्कि मतदाताओं के विश्वास को भी प्रभावित करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार आयोग ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि मतपत्र इकाई यानी बैलेट यूनिट पर किसी भी तरह का बाहरी पदार्थ लगाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। यदि किसी बूथ पर इस तरह की गतिविधि पाई जाती है, तो उसे सीधे ईवीएम के साथ हस्तक्षेप माना जाएगा और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

चुनाव आयोग ने यह भी सुनिश्चित करने

के निर्देश दिए हैं कि हर मतदान केंद्र पर उम्मीदवारों के नाम और उनके सामने दिए गए बटन पूरी तरह साफ और स्पष्ट दिखाई दें। किसी भी बटन को टेप, गोंद, कागज या अन्य किसी माध्यम से ढकना सख्त रूप से प्रतिबंधित है। आयोग का मानना है कि इस तरह की छोटी-छोटी गड़बड़ियां भी मतदाताओं को भ्रमित कर सकती हैं और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर सकती हैं। इसलिए इस बार हर स्तर पर निगरानी को मजबूत किया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की लापरवाही की गुंजाइश न रहे।

इस बार पीठासीन अधिकारियों की जिम्मेदारी भी काफी बढ़ा दी गई है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी मतदान केंद्र पर ईवीएम के साथ छेड़छाड़ या संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिलती है, तो संबंधित अधिकारी को तुरंत सेक्टर अधिकारी या रिटर्निंग ऑफिसर को सूचित करना होगा। किसी भी प्रकार की देरी या लापरवाही को गंभीर कदाचार माना जाएगा और इसके लिए संबंधित अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। इससे यह साफ हो गया है कि आयोग केवल बाहरी गड़बड़ियों पर ही नहीं, बल्कि प्रशासनिक स्तर पर भी पूरी जवाबदेही तय करना चाहता है।

आयोग ने पुनर्मतदान को लेकर भी स्पष्ट नीति अपनाई है। यदि किसी भी मतदान केंद्र पर ईवीएम से छेड़छाड़ की पुष्टि होती है या मतदान प्रक्रिया की निष्पक्षता पर संदेह पैदा होता है, तो वहां बिना किसी हिचकिचाहट के पुनर्मतदान का आदेश दिया जाएगा। इसके साथ ही दोषियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कर उन्हें सजा दिलाने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। यह कदम चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

चुनाव आयोग के इस सख्त रुख के पीछे मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग बिना किसी डर, दबाव या भ्रम के कर सके। लोकतंत्र में चुनाव केवल एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि जनता के विश्वास का आधार होते हैं, और इसी विश्वास को मजबूत बनाए रखने के लिए आयोग इस बार कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। तकनीक के बढ़ते उपयोग के साथ-साथ उसकी सुरक्षा और पारदर्शिता भी उतनी ही जरूरी हो गई है, और आयोग इसी संतुलन को बनाए रखने के लिए सक्रिय नजर आ रहा है।

पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे बड़े और राजनीतिक रूप से संवेदनशील राज्यों में चुनाव हमेशा से ही चुनौतीपूर्ण रहे हैं। ऐसे में आयोग का यह सख्त रुख यह संकेत देता है कि वह किसी भी संभावित विवाद या गड़बड़ी को पहले ही रोकना चाहता है। राजनीतिक दलों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा के माहौल में यह जरूरी भी हो जाता है कि चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी बनी रहे, ताकि परिणामों पर किसी तरह का विवाद न खड़ा हो।

विशेषज्ञों का मानना है कि चुनाव आयोग के इन निर्देशों से न केवल चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि मतदाताओं का भरोसा भी मजबूत होगा। साथ ही यह उन तत्वों के लिए भी कड़ा संदेश है, जो चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आयोग के इन सख्त निर्देशों का जमीनी स्तर पर कितना प्रभाव पड़ता है और क्या इससे चुनाव प्रक्रिया और अधिक विश्वसनीय बन पाती है।

कुल मिलाकर, मतदान से ठीक पहले चुनाव आयोग का यह कदम यह दर्शाता है कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए निष्पक्ष चुनाव कितने जरूरी हैं। आयोग ने साफ कर दिया है कि इस बार कोई भी गड़बड़ी न तो नजरअंदाज की जाएगी और न ही बर्दाश्त की जाएगी, जिससे चुनावी माहौल में अनुशासन और पारदर्शिता दोनों सुनिश्चित हो सकें।

I-PAC छापेमारी विवाद में सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी मुख्यमंत्री का आचरण लोकतंत्र पर सवाल खड़ा करता है

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़े I-PAC छापेमारी विवाद ने अब न्यायपालिका के स्तर पर गंभीर मोड़ ले लिया है। इस मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बेहद सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि किसी राज्य की मुख्यमंत्री स्वयं जांच प्रक्रिया में हस्तक्षेप करती हैं, तो इसे केवल राजनीतिक विवाद मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ऐसा आचरण सीधे तौर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था और कानून के शासन को चुनौती देता है।

यह मामला जनवरी 2026 में कोयला घोटाले से जुड़ी जांच के दौरान सामने आया, जब I-PAC के कार्यालय और उसके निदेशक के आवास पर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा छापेमारी की गई थी। जांच एजेंसी का आरोप है कि इस कार्रवाई के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मौके पर पहुंचीं और उन्होंने जांच अधिकारियों पर दबाव बनाया तथा डिजिटल साक्ष्यों जैसे लैपटॉप और मोबाइल फोन को अपने कब्जे में ले लिया। इसी घटना को लेकर विवाद गहराता चला गया और मामला अदालत तक पहुंच गया।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्र की पीठ ने राज्य सरकार के पक्ष से तीखे सवाल किए। अदालत ने पूछा कि क्या यह अपेक्षा की जा सकती है कि जब किसी जांच एजेंसी की टीम किसी स्थान पर तलाशी अभियान चला रही हो और उसी समय कोई मुख्यमंत्री वहां पहुंचकर प्रक्रिया में हस्तक्षेप करे, तो अधिकारी निष्क्रिय खड़े रहें? कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसियों को कानून के तहत स्वतंत्र रूप से काम करने का अधिकार है और किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा इस प्रक्रिया में बाधा डालना गंभीर चिंता का विषय है।

अदालत ने इस मामले को "अभूतपूर्व" बताते हुए कहा कि भारतीय संवैधानिक इतिहास में ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं देखी गई, जहां कोई मौजूदा मुख्यमंत्री सीधे तौर पर जांच स्थल पर पहुंचकर प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास करे। पीठ ने यह भी टिप्पणी की कि महान संविधानविदों ने भी कभी ऐसी स्थिति की कल्पना नहीं की थी, जिसमें कार्यपालिका का सर्वोच्च पद संभालने वाला व्यक्ति जांच प्रक्रिया में हस्तक्षेप करे।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से यह दलील दी गई कि यह मामला केंद्र और राज्य के बीच अधिकार क्षेत्र का विवाद है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि यह मामला केवल प्रशासनिक टकराव का नहीं, बल्कि कानून के शासन और संवैधानिक मर्यादा का है। यदि किसी व्यक्ति का आचरण जांच की निष्पक्षता को प्रभावित करता है, तो उसे गंभीरता से देखा जाना चाहिए, चाहे वह किसी भी पद पर क्यों न हो।

न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि जांच एजेंसियों की स्वतंत्रता लोकतांत्रिक व्यवस्था की रीढ़ होती है और यदि उस स्वतंत्रता को कमजोर किया जाता है, तो पूरा न्यायिक ढांचा प्रभावित हो सकता है। अदालत ने कहा कि किसी भी लोकतंत्र में शक्तियों का संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है और यदि यह संतुलन टूटता है, तो इसका असर पूरे सिस्टम पर पड़ता है।

इस मामले ने राजनीतिक हलकों में भी हलचल मचा दी है। जहां एक ओर विपक्षी दल इसे जांच एजेंसियों की स्वतंत्रता के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के रूप में देख रहे हैं, वहीं राज्य सरकार इसे राजनीतिक दृष्टिकोण से प्रेरित मामला बता रही है। हालांकि अदालत ने अपने रुख से यह स्पष्ट कर दिया है कि वह केवल संवैधानिक और कानूनी पहलुओं पर ध्यान दे रही है, न कि राजनीतिक विवादों पर।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन सकती है। यह स्पष्ट संदेश देती है कि संवैधानिक पद पर बैठे किसी भी व्यक्ति को कानून की सीमाओं के भीतर रहकर ही कार्य करना होगा। जांच प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न केवल अनुचित है, बल्कि लोकतांत्रिक ढांचे के लिए भी खतरा बन सकता है।

कुल मिलाकर, I-PAC छापेमारी विवाद अब केवल एक जांच या राजनीतिक टकराव का मामला नहीं रह गया है, बल्कि यह भारत की संवैधानिक व्यवस्था, शक्तियों के संतुलन और कानून के शासन की बुनियादी अवधारणा से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। सुप्रीम कोर्ट की यह सख्त टिप्पणी इस बात का संकेत है कि न्यायपालिका लोकतंत्र की संस्थागत मर्यादाओं को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही को स्वीकार करने के मूड में नहीं है।

नैतिकता को दी प्राथमिकता: नेपाल के गृह मंत्री सुदन गुरुंग ने पद से दिया इस्तीफा

काठमांडू। नेपाल की राजनीति में बुधवार को एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया, जब सुदन गुरुंग ने गृह मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने यह निर्णय अपने वित्तीय निवेशों और शेयरों को लेकर उठे सवालों के बीच नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए लिया है। उनके इस कदम को राजनीतिक हलकों में एक बड़े संदेश के रूप में देखा जा रहा है, जहां उन्होंने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक जीवन में पद से अधिक महत्व ईमानदारी और नैतिक मूल्यों का होता है। गुरुंग ने अपने इस्तीफे की घोषणा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के माध्यम से की, जिसमें उन्होंने जनता के प्रति जवाबदेही को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। अपने बयान में गुरुंग ने कहा कि पिछले कुछ समय से उनकी संपत्ति और निवेश को लेकर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे थे, जिन्हें उन्होंने बेहद गंभीरता से लिया। उनका कहना था कि जब सार्वजनिक जीवन में किसी व्यक्ति पर सवाल उठते हैं, तो उसे पारदर्शिता के साथ उनका सामना करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच सुनिश्चित करने के लिए उनका पद पर बने रहना उचित नहीं है, इसलिए उन्होंने स्वेच्छा से इस्तीफा देने का निर्णय लिया।

उनके इस कदम को राजनीतिक शुचिता और जवाबदेही की दिशा में एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा रहा है।

गुरुंग ने अपने फेसबुक पोस्ट में यह भी उल्लेख किया कि आज के समय में जनता, विशेष रूप से युवा पीढ़ी, नेतृत्व से अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही की अपेक्षा करती है। उन्होंने 'जेन जेड' आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि यह पीढ़ी सवाल पूछने से नहीं हिचकती और नेताओं से स्पष्ट जवाब चाहती है। ऐसे में एक जिम्मेदार नेता का कर्तव्य है कि वह जनता के विश्वास को बनाए रखे और किसी भी प्रकार की शंका की स्थिति में नैतिक निर्णय ले।

उन्होंने यह भी कहा कि उनके लिए जनता का भरोसा किसी भी पद से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। यदि जनता के मन में संदेह उत्पन्न हो जाए, तो उस स्थिति में पद पर बने रहना उचित नहीं होता। उन्होंने अपने समर्थकों और सहयोगियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे आगे भी सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और पारदर्शिता के सिद्धांतों का पालन करते रहेंगे।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि गुरुंग का यह कदम नेपाल की राजनीति में एक सकारात्मक संकेत के रूप में देखा जा सकता है, जहां नेता नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद छोड़ने का साहस दिखा रहे हैं। यह घटना ऐसे समय में सामने आई है जब कई देशों में नेताओं पर लगे आरोपों के बावजूद वे अपने पदों पर बने रहते हैं। ऐसे में गुरुंग का इस्तीफा एक अलग उदाहरण पेश करता है।

हालांकि, विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है और मामले की गहन जांच की मांग की है। उनका कहना है कि केवल इस्तीफा देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि पूरे मामले की पारदर्शी जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। वहीं, सरकार की ओर से इस मामले पर अभी विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और राजनीतिक हलचल देखने को मिल सकती है।

नेपाल में यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब देश की राजनीति पहले से ही कई चुनौतियों का सामना कर रही है। ऐसे में गुरुंग का इस्तीफा न केवल एक व्यक्तिगत निर्णय है, बल्कि यह राजनीतिक संस्कृति पर भी सवाल खड़े करता है और यह संकेत देता है कि जनता अब अपने नेताओं से अधिक जवाबदेही की अपेक्षा कर रही है।

कुल मिलाकर, सुदन गुरुंग का यह कदम यह दर्शाता है कि लोकतंत्र में नैतिकता और पारदर्शिता का महत्व कितना अधिक है। उनका इस्तीफा केवल एक पद त्यागने का निर्णय नहीं, बल्कि एक संदेश है कि सत्ता से ऊपर जनता का विश्वास और नैतिक मूल्यों का पालन ही सबसे बड़ा दायित्व है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि इस घटनाक्रम का नेपाल की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है और क्या यह अन्य नेताओं के लिए भी एक उदाहरण बन पाता है।

होर्मुज में नया खतरा: साइबर ठगों ने समुद्री व्यापार को बनाया निशाना, फंसे जहाजों से वसूली का खेल

दुबई/एथेंस। पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच दुनिया के सबसे अहम समुद्री मार्ग होर्मुज जलडमरूमध्य में फंसे व्यापारिक जहाजों पर अब एक नया और बेहद खतरनाक खतरा मंडरा रहा है। यह खतरा पारंपरिक समुद्री डकैती या मिसाइल हमलों का नहीं, बल्कि अत्याधुनिक साइबर ठगी का है। यूनानी समुद्री जोखिम विश्लेषण फर्म मार्क्स ने एक चेतावनी जारी करते हुए खुलासा किया है कि साइबर अपराधी खुद को ईरानी अधिकारियों के रूप में पेश कर शिपिंग कंपनियों से भारी रकम वसूल रहे हैं। यह पूरा नेटवर्क बेहद संगठित तरीके से काम कर रहा है और फंसे हुए जहाजों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें झांसे में ले रहा है।

जानकारी के अनुसार, ये ठग शिपिंग कंपनियों को आधिकारिक दिखने वाले ईमेल भेजते हैं, जिनमें दावा किया जाता है कि वे ईरान की सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े हैं। ईमेल में कंपनियों से उनके जहाजों के दस्तावेज और यात्रा से जुड़ी जानकारी मांगी जाती है, ताकि कथित तौर पर सुरक्षा समीक्षा की जा सके। जैसे ही कंपनियां यह जानकारी साझा करती हैं, ठग उन्हें एक तथाकथित "ट्रांजिट फीस" के बारे में सूचित करते हैं, जिसे चुकाने पर सुरक्षित मार्ग देने का वादा किया जाता है। यह फीस पारंपरिक बैंकिंग माध्यमों से नहीं, बल्कि बिटकॉइन और टीथर जैसी क्रिप्टोकरेंसी में मांगी जाती है, जिससे लेन-देन का पता लगाना मुश्किल हो जाता है।

ईमेल में यह भी कहा जाता है कि शुल्क का भुगतान होने के बाद जहाज को बिना किसी रुकावट के निर्धारित समय पर जलडमरूमध्य पार करने की अनुमति मिल जाएगी। कई कंपनियां, जो पहले से ही क्षेत्र में तनाव और अनिश्चितता के कारण चिंतित हैं, इस तरह के संदेशों को वास्तविक मानकर भुगतान करने के लिए तैयार हो जाती हैं। इसी तरह की एक घटना में एक जहाज इन ठगों के झांसे में आकर भुगतान कर चुका है, लेकिन बाद में उसे वास्तविकता का सामना करना पड़ा।

18 अप्रैल को जब ईरान ने जांच के बाद सीमित रूप से मार्ग खोलने की अनुमति दी, तब जिन जहाजों ने इन फर्जी निर्देशों का पालन किया था, उन्हें ईरानी गश्ती नौकाओं की कार्रवाई का सामना करना पड़ा। कई जहाजों को चेतावनी दी गई और कुछ को गोलीबारी के बीच वापस लौटना पड़ा। इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया कि भुगतान लेने वाले लोग किसी भी तरह से आधिकारिक ईरानी एजेंसियों से जुड़े नहीं थे, बल्कि यह एक सुव्यवस्थित साइबर ठगी का मामला था।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए एक गंभीर चुनौती बनते जा रहे हैं। होर्मुज जलडमरूमध्य से दुनिया के लगभग 20 प्रतिशत तेल और गैस का परिवहन होता है, जिससे यह मार्ग वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है। वर्तमान में क्षेत्रीय तनाव और सैन्य गतिविधियों के कारण यहां आवागमन प्रभावित है, और इसी स्थिति का फायदा उठाकर साइबर अपराधी अपनी चालें चल रहे हैं।

डिजिटल अपराधों के बढ़ते दायरे का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि क्रिप्टोकरेंसी गतिविधियों पर नजर रखने वाली संस्था डेफीलामा के आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल 2026 में ही क्रिप्टो हैकिंग और स्कैम से होने वाला कुल नुकसान लगभग 5000 करोड़ रुपये के पार पहुंच चुका है। यह आंकड़ा दर्शाता है कि साइबर अपराध अब केवल व्यक्तिगत स्तर तक सीमित नहीं रहे, बल्कि वे अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वैश्विक सप्लाई चेन को भी प्रभावित कर रहे हैं।

समुद्री सुरक्षा विशेषज्ञों ने शिपिंग कंपनियों को सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध संचार की पुष्टि आधिकारिक चैनलों से करने की सलाह दी है। उन्होंने यह भी कहा है कि किसी भी प्रकार की फीस या निर्देश को बिना सत्यापन के स्वीकार करना भारी नुकसान का कारण बन सकता है। इसके अलावा, कंपनियों को अपनी साइबर सुरक्षा प्रणाली को और मजबूत करने की जरूरत है, ताकि इस तरह के हमलों से बचा जा सके।

कुल मिलाकर, होर्मुज जलडमरूमध्य में उभरता यह नया साइबर खतरा यह संकेत देता है कि आधुनिक युग में युद्ध और संघर्ष केवल जमीन, हवा या समुद्र तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि अब डिजिटल दुनिया में भी लड़े जा रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा के पारंपरिक उपायों के साथ-साथ साइबर सतर्कता भी उतनी ही जरूरी हो गई है, ताकि वैश्विक व्यापार को इस तरह की ठगी से सुरक्षित रखा जा सके।

संपादकीय

प्रभावी-पारदर्शी बीमा कवर अनिवार्य हो

किसी लोक कल्याणकारी सरकार का पहला दायित्व बनता है कि वो अपने नागरिकों के लिए सस्ती व प्रभावी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये। दुनिया के तमाम देशों में सरकारों के स्तर पर ऐसी नीतियां बनी हैं कि लोगों को स्वास्थ्य संकट आने पर उपचार खर्च के तनाव का रोग अलग से नहीं लेना पड़ता है। विशेषकर बुजुर्ग आबादी का विशेष ख्याल रखा जाता है। जिस उम्र में उनका शरीर क्षीण हो रहा होता है और आय के साधन न के बराबर होते हैं, सरकारी चिकित्सा का सुरक्षा कवच बड़ा संबल होता है। विडंबना यह है कि भारत में स्वास्थ्य सेवाएं गहरे विरोधाभास से जूझ रही हैं। हमारी सरकारी चिकित्सा व्यवस्था खुद बीमार है। देश में कम स्वास्थ्य बजट, राजनीतिक हस्तक्षेप और भ्रष्टाचार के चलते सरकारी अस्पतालों में सब कुछ होते हुए भी गरीब व कमजोर वर्ग के लोगों को गुणवत्ता का उपचार नहीं मिल पाता है। हाल ही में सामने आए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के एक नये सर्वेक्षण में बताया गया है कि देश की लगभग आधी आबादी के पास किसी न किसी प्रकार का स्वास्थ्य बीमा कवर है। लेकिन विडंबना यह है कि स्वास्थ्य बीमा कवर होने के बावजूद उनकी जेब से खर्च होने वाला चिकित्सा व्यय अधिक बना हुआ है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि सरकार द्वारा समर्थित योजनाओं ने बीमा कवरेज के विस्तार को गति दी है। उल्लेखनीय है कि देश के ग्रामीण इलाकों में अब शहरी क्षेत्रों के मुकाबले बीमा कवरेज अधिक है। इसके बावजूद दुखद स्थिति यह है कि देश के करोड़ों परिवारों के लिए आज भी बीमार पड़ना गंभीर आर्थिक संकट पैदा कर देता है। वहीं दूसरी ओर, इस सर्वेक्षण ने एक स्पष्ट खामी को भी उजागर किया है कि आज भी अस्पताल में भर्ती होने के प्रत्येक मामले के लिए मरीज के जेब से होने वाले खर्च के औसत बिल 34,000 रुपये से अधिक हैं।

यह हकीकत है कि बीमा कवरेज के बाद भी मरीजों के उपचार पर होने वाला खर्च भारत के अधिकांश आम परिवारों की वहन क्षमता से कहीं अधिक है। आखिर देश में बीमा दायरा बढ़ने के बावजूद, मरीजों पर चिकित्सा उपचार का आर्थिक बोझ लगातार क्यों बढ़ रहा है? क्या बीमा कवरेज कारोबार के लिए उत्साहित रहने वाली बीमा कंपनियों और बड़े अस्पतालों की कमाई का ही जरिया बनकर रह गया? हाल के वर्षों में इस अपवित्र गठबंधन के कई मामलों का खुलासा भी हुआ है। लेकिन नियामक तंत्र की सख्ती के अभाव में मरीजों के दोहन का यह खेल बदस्तूर जारी है। जानकार बताते हैं कि चिकित्सा उपचार की बढ़ती दर अक्सर मुद्रास्फीति से भी अधिक होती है। निस्संदेह, यह अपवित्र कारोबार मरीजों से मुनाफा कमाने वालों के मानवीय सरोकारों पर सवालिया निशान लगाता है। वैसे चिकित्सा सेवा में मुनाफा बढ़ते देख निजी स्वास्थ्य सेवाओं का दबदबा भी बढ़ा है। हाल के वर्षों में सरकारी अस्पतालों की बदहाली के चलते ज्यादातर भारतीय निजी अस्पतालों की ओर ही रुख कर रहे हैं। लेकिन वहां सरकारी अस्पतालों से कई गुना अधिक उपचार लागत होती है। कोरोना संकट में हमने देखा कि महंगे उपचार के चलते तमाम लोग गरीबी के दलदल में चले गए। दरअसल, आज हालातवश सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं वाले अस्पतालों में भर्ती होने की हिस्सेदारी घटने के साथ ही मरीजों को अनिवार्य रूप से अधिक महंगे विकल्पों की ओर धकेला जा रहा है, जिससे बीमा सुरक्षा के लाभ कम हो रहे हैं। आयुष्मान भारत जैसी प्रमुख योजनाओं का त्रुटिपूर्ण कार्यान्वयन भी एक और बाधा बनी है। वहीं देर से मिलने वाली सरकारी चिकित्सा बीमा राशि भी मरीजों के लिए किफायती सेवाओं को बाधित कर रही है। यदि इन सरकारी योजनाओं में सूचीबद्ध अस्पताल मरीजों के उपचार से पीछे हट जाते हैं तो सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित बीमा की अवधारणा खतरे में पड़ जाती है, जिससे वंचित होने से नागरिकों का उपचार अधर में लटक जाएगा। निस्संदेह, बीमा कवरेज ही काफी नहीं है, देश को अपने सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे को भी मजबूत करना होगा। साथ ही सरकारी योजनाओं के तहत समय पर भुगतान सुनिश्चित करना होगा। अन्यथा अस्पताल के बिल मजबूर लोगों की आय व बचत को पलीता लगाते रहेंगे।

वैश्विक औसत से बहुत दूर है सत्ता में महिलाओं की भागीदारी

> खैर इससे यह तस्वीर साफ हो जानी चाहिए कि जब तक संवैधानिक बाध्यता नहीं होगी तब तक महिलाओं की भागीदारी लाख प्रयासों के बावजूद नहीं बढ़ने वाली है। इसके लिए एक सीमा तक सीटों का आरक्षण करना ही होगा। इसका जीता जागता उदाहरण पंचायतीराज व स्थानीय स्वशासन संस्थाएं है।

संसद में महिलाओं के 33 फीसदी आरक्षण का बिल गिरने के साथ ही देश में सत्ता में महिलाओं की भागीदारी को लेकर नई बहस छिड़ गई है। जहां एक और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संदेश के माध्यम से महिलाओं से माफी मांगी है तो दूसरी और विपक्ष ने इसे अपनी बड़ी जीत और सरकार की हार बताई है। हांलाकि विपक्ष यह भी कह रहा है कि उनका विरोध सीटों के परिसीमन से अधिक है। खैर यह अलग बहस का विषय हो सकता है। पर एक बात साफ हो जानी चाहिए कि सत्ता में महिलाओं की हिस्सेदारी के मामलें में हम दुनिया के देशों से अभी काफी पीछे चल रहे हैं। दुनिया के 190 देशों के आंकड़ों का विष्लेषण करे तो हमारे देश का स्थान 147 वां आता है। दुनिया के देशों में सत्ता में महिलाओं की भागीदारी की बात करें तो वैश्विक स्तर औसत 27.5 फीसदी है। 30 महिला राष्ट्राध्यक्ष महिलाएं है तो दुनिया के केवल 8 देश ही ऐसे हैं जहां महिलाओं की भागीदारी 50 फीसदी से अधिक है। रवांडा, क्यूबा, निकारागुआ, कोस्टारिका, बोलिविया, मैक्सिको, एंडोरा और संयुक्त अरब अमीरात में 50 प्रतिशत से अधिक भागीदारी है। न्यूजीलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड 45 से 50 प्रतिशत महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। आज हम महिलाओं की 33 प्रतिशत भागीदारी की बात कर रहे हैं वहीं इस समय दुनिया के 56 देश ऐसे हैं जहां सत्ता में महिलाओं का 33 प्रतिशत प्रतिनिधित्व है। एक मोटे अनुमान के अनुसार हालिया चुनावों में 14 राज्यों में महिलाओं की निर्णायक भूमिका रही है। 2024 के लोकसभा चुनावों में भी 19 राज्यों केन्द्र शासित प्रदेशों में महिलाओं ने निर्णायक भूमिका निभाई। इसके साथ ही पिछले कुछ सालों के चुनाव परिणामों का विश्लेषण करें तो यह भी साफ हो जाता है कि लगभग सभी पार्टियों ने महिलाओं

को केन्द्र में रखकर चुनाव घोषणा पत्र बनाये और महिलाओं को किसी भी नाम से योजना रखते हुए एक निश्चित राशि देने की बात प्रमुखता से की। बिहार, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश या अन्य प्रदेशों में लखपति दीदी या इसी तरह के नाम से मिलती जुलती योजनाओं में राशि उपलब्ध कराने की रणनीति महिला वोटों को अपनी और करने की रही है, यह दूसरी बात है कि इसका लाभ किस पार्टी को अधिक मिला। एक बात साफ हो जानी चाहिए राजनीतिक पार्टियां कहने को कुछ भी कहे या महिलाओं को आगे लाने की कितनी भी बात करें पर विधानसभा और संसद में महिलाओं की भागीदारी अभी तक महिलाओं की बढ़ नहीं पाई है। महिला प्रतिनिधित्व का वैश्विक औसत जहां 27.5 प्रतिशत है वहीं हमारे देश में अभी तक यह 14-15 प्रतिशत तक पहुंच पाया है। रौचक बात यह है कि 2009 की 15 वीं लोकसभा के पहले तक तो हमारे देश में लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व दहाई की संख्या में भी नहीं पहुंचा था। 15 वीं लोकसभा में पहली बार 10.9 प्रतिशत प्रतिनिधित्व हो सका। हांलाकि 1977 में आपातकाल के ठीक बाद की लोकसभा में सबसे कम भागीदारी केवल 3.5 प्रतिशत ही रह गई थी। पर 1977 के हालात अलग थे और उनको अलग करके देखा जाना चाहिए। उस समय आपातकाल के बाद की स्थितियां थी। 18 वीं लोकसभा में 17 वीं लोकसभा की तुलना में 3 महिला सांसद कम है। इस तरह से 17वीं लोकसभा में महिलाओं की सर्वाधिक 14.4 प्रतिशत भागीदारी रही। जहां तक राजनीतिक दलों की बात है तो भले ही महिला आरक्षण बिल का अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता के कारण कांग्रेस व अन्य विपक्षियों के साथ तृणमूल कांग्रेस ने भी विपक्ष में मतदान किया पर लोकसभा और राज्य सभा में टीएमसी दल की महिलाओं की हिस्सेदारी अधिक है। जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है तो कांग्रेस की भागीदारी 14.3 प्रतिशत और बीजेपी की भागीदारी 12.9 प्रतिशत है। अन्य दलों की भी कमोबेश यही स्थिति है। जहां तक राज्यों का प्रश्न है तो इस समय देश में सर्वाधिक महिला सदस्य छत्तीसगढ़ विधानसभा में है। छत्तीसगढ़ में कुल सदस्यों में 21.1 प्रतिशत महिला सदस्य है। त्रिपुरा में 15 प्रतिशत महिला सदस्य है। बाकी देश के अन्य राज्यों में 15 प्रतिशत महिलाएं भी विधानसभा की सदस्य नहीं है। नागालैंड देश का ऐसा प्रदेश है जहां सबसे कम महिला सदस्य है। कर्नाटक जैसे राज्य में भी पांच प्रतिशत से कम महिला विधानसभा सदस्य है। खैर इससे यह तस्वीर साफ हो जानी चाहिए कि जब तक संवैधानिक बाध्यता नहीं होगी तब तक महिलाओं की भागीदारी लाख प्रयासों के बावजूद नहीं बढ़ने वाली है। इसके लिए एक सीमा तक सीटों का आरक्षण करना ही होगा। इसका जीता जागता उदाहरण पंचायतीराज व स्थानीय स्वशासन संस्थाएं है। जहां महिलाओं की सीटे आरक्षित होने से आज तस्वीर ही बदल गई है। आज सरपंच पति या प्रधान पति वाली बात भी नहीं रही है। पिछले चुनाव परिणाम भी यह साफ कर चुके हैं कि आज महिलाएं अपने निर्णय स्वयं लेती है। यही कारण है कि सरकार बनने और बनाने में महिलाओं मतदाताओं की निर्णायक भूमिका रही है। आने वाले समय में इसमें और अधिक सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। ऐसे में एक बात साफ हो जानी चाहिए कि बिना आरक्षित सीटों के विधानसभाओं या संसद में महिला सदस्यों की हिस्सेदारी बढ़ने की कल्पना करना बेमानी होगी। यह तो संवैधानिक बाध्यता से ही संभव हो पाएगा। यह सभी राजनीतिक दलों को समझना होगा। यदि महिलाओं की सत्ता में सहभागिता बढ़ानी है तो महिला सीटों का आरक्षण करना ही होगा। यह अवश्य है कि आरक्षण की सीमा आपसी समन्वय व विचार विमर्श से सर्वसम्मति से तय होता है तो यह बेहतर लोकतांत्रिक परंपरा होगी। राजनीतिक दलों को आपसी आग्रह दुराग्रहों से हटकर इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। गैरसरकारी संगठनों को भी इस दिशा में देश में माहौल बनाना चाहिए। यह साफ है कि अब समय आ गया है जब महिलाओं की हिस्सेदारी तय होनी ही चाहिए।

प्रेरणा

नारी अधिकारों के महान योद्धा: डॉ. भीमराव अंबेडकर का ऐतिहासिक संघर्ष

भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति सदियों तक पुरुषों की तुलना में कमजोर और सीमित रही है। उन्हें सामाजिक, आर्थिक और कानूनी अधिकारों से वंचित रखा गया, जिससे उनका जीवन पराधीनता और असमानता में बीतता था। ऐसे समय में एक ऐसे व्यक्तित्व का उदय हुआ जिसने न केवल दलितों और शोषितों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया, बल्कि महिलाओं को समान अधिकार दिलाने के लिए भी ऐतिहासिक पहल की। यह महान व्यक्तित्व थे भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण के साथ-साथ समाज में लैंगिक समानता स्थापित करने का भी महत्वपूर्ण कार्य किया।

जब भारत स्वतंत्र हुआ, तब यह अपेक्षा की जा रही थी कि सभी वर्गों को समान अधिकार मिलेंगे, लेकिन वास्तविकता इससे काफी अलग थी। महिलाओं को संपत्ति में अधिकार नहीं था, विवाह में उनकी स्वतंत्रता सीमित थी और शिक्षा के अवसर भी बहुत कम थे। उस समय महिलाओं को पुरुषों के अधीन माना जाता था और उनका जीवन परिवार की सीमाओं में बंधा हुआ था। डॉ. अंबेडकर ने इस स्थिति को गहराई से समझा और महसूस किया कि यदि महिलाओं को समान अधिकार नहीं दिए गए, तो स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ अधूरा रह जाएगा।

इसी सोच के साथ उन्होंने 'हिंदू कोड बिल' का निर्माण किया, जो भारतीय समाज में महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम था। इस बिल में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल थे, जिनमें बेटियों को पिता की संपत्ति में समान अधिकार देना, महिलाओं को तलाक का अधिकार प्रदान करना और बहुविवाह की प्रथा को समाप्त कर एक पत्नी प्रथा को लागू करना प्रमुख थे। यह बिल न केवल महिलाओं को कानूनी सुरक्षा देने वाला था, बल्कि यह उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में भी एक बड़ा कदम था।

हालांकि, इस प्रगतिशील विचार का समाज के एक बड़े वर्ग ने तीव्र विरोध किया। कट्टरपंथी समूहों का मानना था कि यह बिल भारतीय संस्कृति और परंपराओं के खिलाफ है। उनका तर्क था कि इससे पारिवारिक व्यवस्था टूट जाएगी और सामाजिक संतुलन बिगड़ जाएगा। लेकिन डॉ. अंबेडकर इन विरोधों से विचलित नहीं हुए। उन्होंने पूरी दृढ़ता और तर्कसंगतता के साथ इस बिल का समर्थन किया और इसे पारित कराने के लिए लगातार प्रयास करते रहे।

लगभग चार वर्षों तक उन्होंने इस बिल को संसद में पारित कराने के लिए संघर्ष किया, लेकिन बार-बार इसे टाल दिया गया। यह स्थिति उनके लिए बेहद निराशाजनक थी, क्योंकि वे समझ चुके थे कि यह केवल एक कानून नहीं, बल्कि समाज में समानता स्थापित करने का माध्यम है। जब उन्हें यह स्पष्ट हो गया कि सरकार इस बिल को गंभीरता से नहीं ले रही है और इसे जानबूझकर लटकाया जा रहा है, तब उन्होंने एक साहसिक निर्णय लिया।

वर्ष 1951 में डॉ. अंबेडकर ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। उनका यह कदम पूरे देश के लिए चौंकाने वाला था, लेकिन इसके पीछे उनका स्पष्ट संदेश था कि वे अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि पद पर बने रहने से अधिक महत्वपूर्ण महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष करना है। उनका यह त्याग उनके व्यक्तित्व की महानता और उनके संकल्प की दृढ़ता को दर्शाता है।

हालांकि उस समय हिंदू कोड बिल पारित नहीं हो सका, लेकिन डॉ. अंबेडकर के प्रयास व्यर्थ नहीं गए। बाद में उनके सिद्धांतों और विचारों को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण कानून बनाए गए, जिनमें हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम और हिंदू विवाह अधिनियम प्रमुख हैं। इन कानूनों ने महिलाओं को संपत्ति में अधिकार, विवाह में स्वतंत्रता और कानूनी सुरक्षा प्रदान की। इससे भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति में धीरे-धीरे सुधार हुआ और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिला।

डॉ. अंबेडकर का यह योगदान केवल कानून बनाने तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक सामाजिक क्रांति की शुरुआत थी। उन्होंने यह साबित किया कि समाज में वास्तविक परिवर्तन तभी संभव है, जब सभी वर्गों को समान अवसर और अधिकार मिलें। महिलाओं को सशक्त बनाना केवल एक सामाजिक आवश्यकता नहीं, बल्कि एक नैतिक दायित्व भी है।

आज जब हम महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ते हुए देखते हैं, तो यह समझना जरूरी है कि इसके पीछे डॉ. अंबेडकर जैसे महान नेताओं का संघर्ष और दूरदृष्टि है। उन्होंने जो बीज बोया था, वह आज एक विशाल वृक्ष बन चुका है, जिसकी छाया में लाखों महिलाएं अपने अधिकारों का लाभ उठा रही हैं।

फिर भी, यह कहना गलत नहीं होगा कि महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। आज भी कई क्षेत्रों में उन्हें भेदभाव और असमानता का सामना करना पड़ता है। ऐसे में डॉ. अंबेडकर के विचार और उनके द्वारा किए गए प्रयास हमें प्रेरणा देते हैं कि हम इस संघर्ष को आगे बढ़ाएं और एक ऐसा समाज बनाएं, जहां हर व्यक्ति को समान अधिकार और सम्मान मिले।

डॉ. अंबेडकर का जीवन हमें यह सिखाता है कि परिवर्तन के लिए साहस, दृढ़ता और स्पष्ट दृष्टिकोण आवश्यक है। उन्होंने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन कभी अपने लक्ष्य से विचलित नहीं हुए। महिलाओं के अधिकारों के लिए उनका संघर्ष आज भी हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है और यह हमें यह याद दिलाता है कि समानता और न्याय के लिए लड़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती।

इस प्रकार, डॉ. अंबेडकर न केवल भारतीय संविधान के निर्माता थे, बल्कि वे महिलाओं के अधिकारों के सच्चे पैरोकार भी थे। उनका योगदान भारतीय समाज को एक नई दिशा देने वाला साबित हुआ और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया।

छात्रों का आत्मघात: सपनों का बोझ है या सिस्टम की नाकामी?

कुरुक्षेत्र स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र में दो महीनों के भीतर चार छात्रों द्वारा आत्महत्या की घटनाएं केवल एक संस्थान की त्रासदी एवं नाकामी नहीं हैं, बल्कि पूरे भारतीय समाज, शिक्षा व्यवस्था और हमारी सामूहिक संवेदनहीनता पर लगा गहरा प्रश्नचिह्न हैं। ये घटनाएं हमें झकझोरती हैं कि आखिर वह कौन-सी परिस्थितियां हैं, जिनमें देश की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाएं जीवन से हार मानने को विवश हो जाती हैं। कोई भी युवा, जो कठिन प्रतिस्पर्धा से गुजरकर ऐसे प्रतिष्ठित संस्थानों तक पहुंचता है, वह सहज रूप से जीवन का परित्याग नहीं करता, वह तब यह निर्णय लेता है जब उसे हर ओर अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है। यह अंधकार केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामाजिक, पारिवारिक और संस्थागत विफलताओं का सम्मिलित परिणाम है। एक बड़ा सवाल है कि इस तरह छात्रों का आत्मघात करना क्या सपनों का बोझ है या सिस्टम की नाकामी? आज भारत का भविष्य कहे जाने वाले युवा जिस मानसिक दबाव, प्रतिस्पर्धा और अपेक्षाओं के बोझ तले दबे हैं, वह अभूतपूर्व चिन्ताजनक है। कोटा जैसे शिक्षा नगरों में हर वर्ष दर्जनों छात्र आत्महत्या करते हैं। इन घटनाओं को हम आंकड़ों में बदल देते हैं, लेकिन हर आंकड़े के पीछे एक जीवित सपना, एक संघर्षरत परिवार और टूटती उम्मीदों की कहानी होती है। कोटा, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई और अन्य शिक्षा केंद्रों में बढ़ती आत्महत्याएं इस बात का संकेत हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में कुछ मूलभूत त्रुटियां हैं। यह केवल पढ़ाई का दबाव नहीं है, यह उस मानसिक संरचना का संकट है, जिसमें सफलता को जीवन का पर्याय बना दिया गया है और असफलता को जीवन का अंत। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा संसद में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार 2018 से 2023 के बीच उच्च शिक्षण संस्थानों में 98 छात्रों ने आत्महत्या की। इनमें सबसे अधिक घटनाएं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में हुईं, इसके बाद एनआईटी और केंद्रीय विश्वविद्यालयों का स्थान है। यह तथ्य इस धारणा को तोड़ता है कि केवल कमजोर छात्र ही मानसिक तनाव का शिकार होते हैं। सच्चाई यह है कि सबसे प्रतिभाशाली और संवेदनशील छात्र ही अक्सर सबसे अधिक दबाव महसूस करते हैं, क्योंकि वे स्वयं से अत्यधिक अपेक्षाएं रखते हैं और असफलता को स्वीकार नहीं कर पाते। यहां प्रश्न केवल संस्थानों का नहीं है, बल्कि उस सामाजिक मानसिकता का भी है जिसने सफलता को एक संकीर्ण परिभाषा में बांध दिया है। परिवार अपने बच्चों को बचपन से ही यह सिखाते हैं कि जीवन का लक्ष्य केवल प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करना है। अभिभावक अपनी सामर्थ्य से अधिक खर्च कर कोचिंग संस्थानों में बच्चों को भेजते हैं, बैंक से कर्ज लेते हैं और अपनी अधूरी इच्छाओं को बच्चों के माध्यम से पूरा करने का प्रयास करते हैं। यह अपेक्षाओं का बोझ बच्चों के मन पर इतना भारी पड़ता है कि वे स्वयं को एक प्रोजेक्ट की तरह देखने लगते हैं, एक इंसान की तरह नहीं। जब यह प्रोजेक्ट असफल होता है, तो उन्हें लगता है कि उनका अस्तित्व ही निरर्थक हो गया है।

शिक्षा व्यवस्था का ढांचा भी इस संकट के लिए कम जिम्मेदार नहीं है। हमारी शिक्षा प्रणाली बच्चों को ज्ञान तो देती है, लेकिन जीवन जीने की कला नहीं सिखाती। उन्हें बताया जाता है कि गणित कैसे हल करना है, लेकिन यह नहीं सिखाया जाता कि जीवन की समस्याओं का समाधान कैसे करना है। उन्हें भौतिकी के नियम याद कराए जाते हैं, लेकिन यह नहीं बताया जाता कि मानसिक संतुलन कैसे बनाए रखना है। परिणामस्वरूप, जब वे वास्तविक जीवन की चुनौतियों से सामना करते हैं तो वे टूट जाते हैं। आज के शिक्षण संस्थानों में शिक्षक और छात्र के बीच का संबंध भी बदल गया है। पहले शिक्षक केवल ज्ञान देने वाले नहीं, बल्कि मार्गदर्शक और संरक्षक होते थे। आज यह संबंध औपचारिक हो गया है। कई शिक्षक अपनी भूमिका को केवल पाठ्यक्रम तक सीमित रखते हैं। वे छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य, उनके भावनात्मक संघर्षों और उनके आंतरिक द्वंद्व को समझने का प्रयास नहीं करते। यह दूरी छात्रों को और अधिक अकेला बना देती है। विचित्र है कि जो देश दुनिया भर में अपनी संतुलित जीवनशैली एवं अहिंसा के लिये जाना जाता है, वहां के शिक्षा-संस्थानों में हिंसा का भाव पनपना एवं छात्रों के आत्महंता होते जाने की प्रवृत्ति का बढ़ना अनेक प्रश्नों को खड़ा कर रहा है। ऐसे ही अनेक प्रश्नों एवं खौफनाक दुर्घटनाओं के आंकड़ों ने शासन-व्यवस्था के साथ-साथ समाज-निर्माताओं को चेताया है और गंभीरतापूर्वक इस विडम्बनापूर्ण एवं चिन्ताजनक समस्या पर विचार करने के लिये जागरूक किया है, लेकिन क्या कुछ सार्थक पहल होगी? बहुत जरूरी है कि उच्च शिक्षण संस्थान अपनी कार्यशैली एवं परिवेश में आमूल-चूल परिर्वतन करें ताकि छात्रों पर बढ़ते दबावों को खत्म किया जा सके। फिलहाल जरूरी यह भी है कि इन संस्थानों में एक ऐसे तंत्र को विकसित किया जाए, जो निराश, हताश और अवसादग्रस्त छात्रों के लगातार संपर्क में रहकर उनमें आशा का संचार कर सके, उन्हें सकारात्मकता के संस्कार दे सके। इसके लिए स्थाई तौर पर कुछ मनोवैज्ञानिकों एवं विशेषज्ञों की सेवाएं भी ली जा सकती हैं।

राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास द्वारा इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग करना एक सकारात्मक कदम है, लेकिन केवल जांच समितियां बनाना समस्या का समाधान नहीं है। समितियां रिपोर्ट दे सकती हैं, लेकिन वे खोए हुए जीवन को वापस नहीं ला सकतीं। आवश्यकता इस बात की है कि हम समस्या की जड़ तक पहुंचें और उसे दूर करने के लिए ठोस और दीर्घकालिक उपाय करें। छात्रों में बढ़ती आत्महत्या की प्रवृत्ति को केवल मानसिक स्वास्थ्य का मुद्दा मानना भी पर्याप्त नहीं है। यह एक व्यापक सामाजिक संकट है, जिसमें शिक्षा प्रणाली, पारिवारिक संरचना, सामाजिक अपेक्षाएं और व्यक्तिगत मनोविज्ञान सभी शामिल हैं।

अभियान

एकात्म चेतना का महायोग: आद्यगुरु शंकराचार्य और भारत की आत्मा का पुनर्जागरण

भारतीय सभ्यता की दीर्घ परंपरा में समय-समय पर ऐसे महापुरुष अवतरित हुए हैं जिन्होंने केवल आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं दिया, बल्कि समाज को दिशा, संतुलन और एकता का मार्ग भी दिखाया। उन्हीं में एक उज्ज्वल नाम है आदि शंकराचार्य, जिनका जीवन एक साथ दर्शन, तप, करुणा और राष्ट्रचेतना का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वे केवल अद्वैत वेदांत के प्रणेता ही नहीं, बल्कि ऐसे युगनिर्माता थे जिन्होंने बिखरे हुए भारत को एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक सूत्र में बांधने का अद्वितीय कार्य किया। उनका प्रादुर्भाव ऐसे समय में हुआ जब समाज विभिन्न मत-मतांतरों, कर्मकांडों और दार्शनिक विवादों में उलझा हुआ था, और एक ऐसी समन्वयी दृष्टि की आवश्यकता थी जो सबको एक व्यापक सत्य की ओर ले जा सके।

केरल के कालड़ी ग्राम में जन्मे शंकराचार्य के जीवन की शुरुआत ही असाधारण संकेतों से भरी थी। उनके माता-पिता शिवगुरु और आर्याम्बा लंबे समय तक संतान के लिए प्रार्थना करते रहे, और फिर एक दिव्य संतान के रूप में शंकर का जन्म हुआ। बालक शंकर में प्रारंभ से ही अद्भुत मेधा और वैराग्य के लक्षण दिखाई देने लगे थे। वेदों और उपनिषदों के प्रति उनका आकर्षण केवल अध्ययन तक सीमित नहीं था, बल्कि वे उनके मर्म को अनुभव करना चाहते थे। बहुत कम आयु में ही उन्होंने वेदों को कंठस्थ कर लिया और संस्कृत भाषा पर ऐसा अधिकार प्राप्त कर लिया कि विद्वानों के बीच भी उनका सम्मान होने लगा। उनकी माता आर्याम्बा ने उन्हें प्रारंभिक शिक्षा दी और धर्मग्रंथों का ज्ञान कराया, परंतु बालक शंकर का मन केवल ज्ञान प्राप्ति में ही नहीं, बल्कि आत्मसाक्षात्कार में लगा रहता था। वे बार-बार जीवन के अंतिम सत्य को जानने की जिज्ञासा व्यक्त करते थे। यही जिज्ञासा आगे चलकर उन्हें संन्यास की ओर ले गई। बाल्यावस्था में ही उन्होंने यह निर्णय लिया कि वे सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर सत्य की खोज करेंगे। माता की अनुमति प्राप्त करना उनके लिए कठिन था, लेकिन अंततः परिस्थितियों ने उन्हें यह अनुमति दिला दी और उन्होंने अल्पायु में ही संन्यास ग्रहण कर लिया। संन्यास ग्रहण करने के बाद उनका जीवन एक निरंतर यात्रा में परिवर्तित हो गया। उन्होंने गुरु की खोज में प्रस्थान किया और अंततः उन्हें गोविंदपादाचार्य के रूप में एक ऐसे गुरु मिले जिन्होंने उनके ज्ञान को दिशा दी। गुरु से दीक्षा प्राप्त करने के बाद शंकराचार्य ने भारत के विभिन्न भागों में भ्रमण आरंभ किया। यह केवल एक साधु की यात्रा नहीं थी, बल्कि यह एक ऐसे विचारक का अभियान था जो पूरे देश को एक ही आध्यात्मिक दृष्टि में देखने का प्रयास कर रहा था।

उस समय भारत में अनेक दार्शनिक धाराएं प्रचलित थीं, जिनमें परस्पर विरोध भी था। शंकराचार्य ने इन सभी मतों के साथ संवाद किया, शास्त्रार्थ किए और अपने अद्वैत सिद्धांत को तर्क और प्रमाण के आधार पर स्थापित किया। उनका अद्वैत दर्शन यह कहता है कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है और यह संसार माया का आभास मात्र है। 'ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या' का उनका उद्घोष केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि एक ऐसी अनुभूति है जो जीवन के समस्त द्वंद्वों को समाप्त कर देती है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, और यह भेद केवल अज्ञान का परिणाम है। जब ज्ञान का प्रकाश होता है, तो यह भेद समाप्त हो जाता है और मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है। उनकी यह विचारधारा केवल आध्यात्मिक नहीं थी, बल्कि इसका गहरा सामाजिक प्रभाव भी था। अद्वैत का सिद्धांत यह सिखाता है कि सभी प्राणी एक ही परम तत्व के अंश हैं, इसलिए किसी भी प्रकार का भेदभाव या ऊंच-नीच का भाव अनुचित है। इस प्रकार उन्होंने समाज में समता और एकता की भावना को मजबूत किया। उन्होंने धर्म को केवल कर्मकांड तक सीमित नहीं रहने दिया, बल्कि उसे ज्ञान, भक्ति और कर्म के समन्वय के रूप में प्रस्तुत किया। शंकराचार्य ने अपने विचारों को स्थायी रूप देने के लिए संस्थागत व्यवस्था भी विकसित की। उन्होंने देश के चारों दिशाओं में चार प्रमुख मठों की स्थापना की, जो आज भी उनके दर्शन और परंपरा के केंद्र हैं। इन मठों के माध्यम से उन्होंने न केवल आध्यात्मिक शिक्षा का प्रसार किया, बल्कि पूरे भारत को एक सांस्कृतिक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। उत्तर में बद्रिकाश्रम, दक्षिण में श्रृंगेरी, पश्चिम में द्वारका और पूर्व में पुरी स्थित गोवर्धन पीठ उनके इस महान कार्य के प्रतीक हैं। इसके साथ ही उन्होंने दशनामी संप्रदाय की स्थापना कर संन्यास परंपरा को एक संगठित स्वरूप प्रदान किया।

उनकी लेखनी भी उतनी ही प्रभावशाली थी जितना उनका वचन। उन्होंने उपनिषदों, भगवद्गीता और ब्रह्मसूत्र पर जो भाष्य लिखे, वे आज भी वेदांत दर्शन के आधार स्तंभ माने जाते हैं। उनकी रचनाओं में गहन तत्त्वज्ञान के साथ-साथ सरलता और स्पष्टता भी है, जिससे सामान्य व्यक्ति भी उन्हें समझ सकता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने अनेक स्तोत्रों की रचना की, जिनमें भक्ति और ज्ञान का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। उनकी रचनाएं केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन को समझने का एक मार्गदर्शन हैं। उनका जीवन अत्यंत अल्पकालिक था, लेकिन उनकी उपलब्धियां अत्यंत विशाल थीं। मात्र 32 वर्ष की आयु में उन्होंने वह सब कर दिखाया जो सामान्यतः कई जन्मों में भी संभव नहीं होता। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम चरण में यह अनुभव किया कि उनका कार्य पूर्ण हो चुका है, और इसके बाद उन्होंने देह त्याग कर ब्रह्म में लीन हो गए। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि जब उद्देश्य स्पष्ट हो और संकल्प दृढ़ हो, तो समय की सीमाएं भी महत्वहीन हो जाती हैं।

आज के समय में जब समाज अनेक प्रकार के विभाजनों, तनावों और असंतुलनों से जूझ रहा है, तब शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन एक नई दिशा प्रदान करता है। उनका संदेश हमें यह सिखाता है कि वास्तविक शांति और संतोष बाहरी संसार में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। जब हम अपने भीतर के ब्रह्म को पहचानते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र और आनंदित होते हैं। उनका जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि हम अपने भीतर के अज्ञान को दूर करें और ज्ञान के प्रकाश से अपने जीवन को आलोकित करें। आद्यगुरु शंकराचार्य का योगदान केवल एक दार्शनिक या धार्मिक गुरु के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे युगनिर्माता के रूप में है जिसने भारत की आत्मा को पुनः जागृत किया। उन्होंने यह दिखाया कि सच्चा धर्म वही है जो मनुष्य को स्वयं से जोड़ता है और उसे समस्त सृष्टि के साथ एकात्मता का अनुभव कराता है। उनका जीवन और उनका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों वर्ष पहले था, और यह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अमूल्य प्रेरणा बना रहेगा।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, “Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, “Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

महिला आरक्षण पर बयान से घिरे पप्पू यादव, तीन दिन में देना होगा जवाब-अयोग्यता की सिफारिश तक पहुंच सकता है मामला

पटना। महिला आरक्षण जैसे संवेदनशील और बहस के केंद्र में रहे मुद्दे पर दिए गए एक विवादित बयान ने पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को गहरे राजनीतिक और कानूनी संकट में ला खड़ा किया है। बयान सामने आने के बाद जहां राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं, वहीं बिहार राज्य महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने सांसद को तीन दिनों के भीतर अपना स्पष्टीकरण देने का नोटिस जारी किया है और साफ संकेत दिए हैं कि यदि जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया, तो मामला संसद तक पहुंच सकता है।

पूरा विवाद उस बयान से जुड़ा है, जिसमें पप्पू यादव ने यह दावा किया कि "राजनीति में 90 प्रतिशत महिलाएं बिना प्रभावशाली नेताओं के संपर्क के आगे नहीं बढ़ पातीं।" इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि "75 प्रतिशत नेता अश्लील सामग्री देखते हैं" और व्यवस्था को महिलाओं के शोषण के लिए जिम्मेदार बताया। यह बयान सामने आते ही सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और इसके बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का सिलसिला शुरू हो गया।

महिला आयोग की अध्यक्ष अप्सरा ने इस मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि यह केवल एक व्यक्तिगत बयान नहीं, बल्कि महिलाओं की गरिमा और उनके राजनीतिक सशक्तिकरण पर सीधा प्रश्नचिह्न है। आयोग ने स्पष्ट किया कि वायरल वीडियो के आधार पर स्वतः संज्ञान लिया गया है और सांसद से विस्तृत जवाब मांगा गया है। आयोग के अनुसार, यदि जवाब संतोषजनक नहीं होता है, तो लोकसभा अध्यक्ष को सांसद की सदस्यता समाप्त करने की सिफारिश तक की जा सकती है। इस सख्त रुख ने मामले को और अधिक गंभीर बना दिया है। विवाद के राजनीतिक आयाम भी तेजी से गहराते नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने बयान को "चौंकाने वाला और महिलाओं के सम्मान के खिलाफ" बताते हुए कड़ी निंदा की है। वहीं पार्टी के अन्य नेता तुहिन सिन्हा ने इसे "घृणित और शर्मनाक" करार देते हुए विपक्षी दलों से स्पष्ट रुख अपनाने की मांग की है। भाजपा नेताओं का कहना है कि ऐसे बयान न केवल महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं, बल्कि नारी सशक्तिकरण के प्रयासों को भी कमजोर करते हैं।

हालांकि, बढ़ते विवाद के बीच पप्पू यादव ने अपने बयान का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि उनकी टिप्पणी को गलत संदर्भ में पेश किया जा रहा है और उन्होंने महिलाओं के खिलाफ कुछ भी आपत्तिजनक नहीं कहा। उनका दावा है कि उन्होंने केवल उस "कटु सच्चाई" को उजागर करने की कोशिश की है, जो राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था में व्याप्त है। उन्होंने महिला आयोग की कार्रवाई पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि आयोग को निष्पक्ष रहना चाहिए और अन्य गंभीर मामलों में भी समान सक्रियता दिखानी चाहिए।

सांसद ने अपने बयान में सामाजिक असमानता का मुद्दा भी उठाया और कहा कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) तथा अनुसूचित जाति-जनजाति समुदायों की भागीदारी देश के विभिन्न क्षेत्रों—जैसे उद्योग, न्यायपालिका, मीडिया और धार्मिक संस्थानों—में बेहद सीमित है। हालांकि, उनके इन दावों के समर्थन में कोई आधिकारिक आंकड़े सामने नहीं आए हैं, जिससे उनके तर्कों पर भी सवाल उठ रहे हैं।

इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह बहस छेड़ दी है कि सार्वजनिक जीवन में भाषा की मर्यादा और जिम्मेदारी कितनी महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से जब बात महिला आरक्षण जैसे संवेदनशील विषय की हो, तो नेताओं के बयान न केवल राजनीतिक विमर्श को प्रभावित करते हैं, बल्कि समाज में एक व्यापक संदेश भी देते हैं। ऐसे में इस प्रकार की टिप्पणियां न केवल विवाद को जन्म देती हैं, बल्कि महिलाओं की भागीदारी और उनके सम्मान को लेकर चल रही सकारात्मक पहल को भी प्रभावित कर सकती हैं।

फिलहाल सभी की नजरें अब पप्पू यादव के जवाब पर टिकी हैं, जो अगले तीन दिनों में महिला आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि उनका स्पष्टीकरण इस विवाद को शांत कर पाता है या फिर यह मामला और अधिक गंभीर होकर संसद और न्यायिक प्रक्रिया तक पहुंचता है।

पहलगाम की गोलियों की गूंज अब भी जिंदा, एक साल बाद भी न्याय और सम्मान की आस में टकटकी लगाए परिवार

कानपुर। कश्मीर की वादियों में 22 अप्रैल 2025 को जो गोलियां चली थीं, उनकी गूंज आज भी कई घरों में सन्नाटे के रूप में सुनाई देती है। पहलगाम में हुए उस आतंकी हमले की पहली बरसी पर पीड़ित परिवारों का दर्द एक बार फिर खुलकर सामने आ गया है। वक्त भले एक साल आगे बढ़ गया हो, लेकिन उन परिवारों की घड़ी जैसे उसी दिन ठहर गई है, जब उनके अपने हमेशा के लिए उनसे छिन गए थे।

हमले में जान गंवाने वाले 26 लोगों के परिजनों ने अब एकजुट होकर अपनी मांग को और मुखर कर दिया है। उनका कहना है कि यह सिर्फ एक आतंकी घटना नहीं थी, बल्कि देश के नागरिकों पर हुआ एक सीधा हमला था, इसलिए सभी मृतकों को 'शहीद' का दर्जा मिलना चाहिए। परिजनों के लिए यह केवल एक औपचारिक सम्मान नहीं, बल्कि उनके अपनों के बलिदान की आधिकारिक पहचान है, जो अब तक अधूरी महसूस होती है।

कानपुर के श्यामनगर निवासी कारोबारी शुभम द्विवेदी की कहानी इस दर्द का सबसे मार्मिक चेहरा बनकर सामने आई है। महज 30 साल की उम्र में उन्होंने अपनी जान गंवाई और उनकी पत्नी ऐशान्या द्विवेदी की जिंदगी एक पल में बदल गई। ऐशान्या बताती हैं कि उन्होंने अपने पति को अपनी आंखों के सामने खोया—वह दृश्य, वह आवाजें, वह भय, आज भी उनकी स्मृतियों में जिंदा हैं। शादी के केवल 68 दिन बाद उनका संसार उजड़ गया, और जो सपने उन्होंने साथ देखे थे, वे हमेशा के लिए अधूरे रह गए।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार, आतंकियों ने पर्यटकों की पहचान पूछकर उन्हें निशाना बनाया था। यह घटना अचानक नहीं, बल्कि एक सुनियोजित और लक्षित हमला थी, जिसमें निर्दोष लोगों को उनके परिवारों के सामने गोलियों से भून दिया गया। उस दिन कश्मीर की खूबसूरत वादियां खून और चीखों से भर गई थीं, और जिन लोगों ने वह मंजर देखा, उनके लिए वह किसी बुरे सपने से कम नहीं था—एक ऐसा सपना, जिससे वे आज तक जाग नहीं पाए हैं।

परिवारों का कहना है कि सरकार और प्रशासन की ओर से उन्हें आर्थिक सहायता और सांत्वना जरूर मिली, लेकिन इससे उनके भीतर का खालीपन नहीं भर सका। उनके लिए असली न्याय और सम्मान तभी पूरा होगा, जब उनके प्रियजनों को 'शहीद' का दर्जा मिलेगा। उनका मानना है कि यह दर्जा न केवल उनके अपनों के बलिदान को मान्यता देगा, बल्कि समाज को भी यह संदेश देगा कि आतंक के खिलाफ खड़े होने वालों की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाती।

समय के साथ घाव भरने की बात कही जाती है, लेकिन यहां हर महीने की 22 तारीख, हर जन्मदिन और हर शादी की सालगिरह उस दर्द को फिर से जगा देती है। ऐशान्या के लिए 12 फरवरी—जो उनकी शादी की तारीख थी—अब खुशियों का दिन नहीं, बल्कि एक अधूरी कहानी की याद बन गया है। 26 फरवरी, जो शुभम का जन्मदिन था, अब केवल एक खालीपन का अहसास कराता है। और 22 अप्रैल—वह दिन—अब उनके जीवन का सबसे काला अध्याय बन चुका है।

पीड़ित परिवारों ने केंद्र और राज्य सरकारों से अपील की है कि वे इस मुद्दे को संवेदनशीलता के साथ देखें और सभी मृतकों को 'शहीद' घोषित कर उन्हें सम्मानजनक न्याय दें। उनका कहना है कि यह केवल उनके परिवारों का सवाल नहीं, बल्कि देश के हर उस नागरिक का सवाल है, जो आतंकवाद का शिकार हुआ है।

पहलगाम की वादियां आज भी उतनी ही खूबसूरत हैं, लेकिन वहां की हवा में अब एक अनकहा दर्द घुला हुआ है। यह दर्द उन परिवारों का है, जो हर दिन अपने अपनों को याद करते हैं, उनके लौट आने की असंभव उम्मीद के साथ जीते हैं और न्याय की प्रतीक्षा में समय के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सच यही है कि कुछ जख्म ऐसे होते हैं, जो वक्त के साथ भी नहीं भरते—वे बस जीवन का हिस्सा बन जाते हैं, और हर सांस के साथ अपना अहसास कराते रहते हैं।

महिला आरक्षण पर नहीं बदलेगा रुख, संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने में जुटी बसपा: मायावती

लखनऊ। आगामी चुनावी माहौल के बीच बहुजन समाज पार्टी ने अपनी राजनीतिक रणनीति को तेज करते हुए साफ संकेत दे दिए हैं कि वह न केवल अपने वैचारिक रुख पर कायम है, बल्कि संगठन को नए सिरे से सक्रिय कर जमीनी स्तर पर मजबूती हासिल करने की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रही है। पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने दिल्ली रवाना होने से पहले पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को स्पष्ट निर्देश दिए कि महिला आरक्षण के मुद्दे पर पार्टी 15 अप्रैल को घोषित अपने आधिकारिक स्टैंड से किसी भी स्थिति में पीछे नहीं हटेगी, साथ ही संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने के लिए व्यापक अभियान चलाया जाए। मायावती का यह रुख ऐसे समय में सामने आया है, जब देशभर में महिला आरक्षण को लेकर राजनीतिक बहस तेज है और विभिन्न दल अपने-अपने दृष्टिकोण के साथ जनता के बीच जा रहे हैं। ऐसे में बसपा ने अपनी स्थिति स्पष्ट रखते हुए यह संकेत देने की कोशिश की है कि वह इस मुद्दे पर किसी दबाव या परिस्थितियों के अनुसार अपना रुख बदलने वाली नहीं है।

पार्टी के भीतर यह संदेश भी दिया गया है कि कार्यकर्ता बैठकों और जनसंपर्क अभियानों के माध्यम से पार्टी की विचारधारा और महिला आरक्षण पर उसकी नीति को मजबूती से जनता तक पहुंचाएं, लेकिन यह सब अनुशासन के दायरे में रहकर ही किया जाए। दरअसल, हाल ही में 31 मार्च को लखनऊ में आयोजित प्रदेश-स्तरीय बैठक और 22 फरवरी को हुई ऑल इंडिया बैठक में जो रणनीति तय की गई थी, उसे अब जमीनी स्तर पर लागू करने का समय माना जा रहा है। पार्टी नेतृत्व ने इन बैठकों में विधानसभा चुनाव की तैयारियों, कैडर को सक्रिय करने और आर्थिक संसाधनों को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया था। अब मायावती ने इन निर्देशों को "पूर्ण निष्ठा के साथ लागू" करने का आह्वान करते हुए साफ किया है कि आगामी समय में पार्टी की प्राथमिकता संगठन को फिर से उसी ताकत के साथ खड़ा करना है, जिसके लिए वह जानी जाती रही है।

उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे बसपा सरकार के दौरान किए गए विकास कार्यों और नीतियों को जन-जन तक पहुंचाएं, ताकि लोगों को यह याद दिलाया जा सके कि पार्टी ने अपने शासनकाल में किस तरह से बुनियादी ढांचे और कानून-व्यवस्था पर काम किया था। पार्टी का दावा है कि उत्तर प्रदेश में कई प्रमुख एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं और नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा जैसी योजनाओं की आधारशिला बसपा शासनकाल में ही रखी गई थी। इन उपलब्धियों को प्रचारित करने के पीछे पार्टी की रणनीति यह है कि वह अपने पुराने वोट बैंक को फिर से सक्रिय कर सके और नए मतदाताओं को भी अपने पक्ष में आकर्षित कर सके। मायावती ने अपने संदेश में "कानून द्वारा कानून का राज" और "सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय" की नीति को फिर से रेखांकित करते हुए कहा कि यही सिद्धांत प्रदेश में स्थायी विकास और मजबूत कानून-व्यवस्था की गारंटी दे सकते हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपेक्षा जताई कि वे इन मूलभूत विचारों को गांव-गांव तक पहुंचाएं और पार्टी के प्रति विश्वास को पुनः स्थापित करें। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि पार्टी किसी भी प्रकार की अनावश्यक आक्रामकता या विरोध-प्रदर्शन की राजनीति से दूर रहेगी। महिला आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भी उन्होंने कार्यकर्ताओं को सख्त निर्देश दिए कि वे पार्टी लाइन का पालन करें, लेकिन अनुशासन बनाए रखते हुए किसी भी तरह के धरना-प्रदर्शन या विवादित गतिविधियों से बचें। इससे यह संकेत मिलता है कि बसपा फिलहाल एक संतुलित और नियंत्रित राजनीतिक रणनीति के साथ आगे बढ़ना चाहती है, जिसमें संगठनात्मक मजबूती और वैचारिक स्पष्टता दोनों पर समान ध्यान दिया जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बसपा का यह कदम आगामी चुनावों को देखते हुए बेहद महत्वपूर्ण है। एक ओर जहां पार्टी अपने पारंपरिक सामाजिक समीकरण को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी ओर वह नए मुद्दों और नए मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ बनाने के लिए भी रणनीति तैयार कर रही है। महिला आरक्षण पर स्पष्ट रुख बनाए रखना और संगठन को सक्रिय करना इसी व्यापक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। फिलहाल, यह साफ है कि बसपा आने वाले समय में पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। मायावती के निर्देशों के बाद अब पार्टी के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी और बढ़ गई है कि वे इन रणनीतियों को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करें और पार्टी को एक बार फिर मजबूत राजनीतिक विकल्प के रूप में स्थापित करने में अपनी भूमिका निभाएं।

ऑटो-डेबिट पर सख्ती: EMI कटने से 24 घंटे पहले अलर्ट अनिवार्य, ग्राहकों को मिला पूरा नियंत्रण

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने डिजिटल बैंकिंग व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और ग्राहक-केंद्रित बनाने की दिशा में एक बड़ा और दूरगामी कदम उठाया है। ऑटो-डेबिट यानी ई-मैंडेट आधारित भुगतान प्रणाली, जो अब तक सुविधा का प्रतीक मानी जाती थी, उसमें कई बार अनचाही कटौतियों, बिना सूचना के ट्रांजैक्शन और ग्राहकों की अनभिज्ञता जैसी समस्याएं सामने आती रही हैं। इन्हीं चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए RBI ने नए नियम लागू किए हैं, जिनके तहत अब किसी भी EMI, बीमा प्रीमियम, सब्सक्रिप्शन या अन्य आवर्ती भुगतान से पहले ग्राहकों को कम से कम 24 घंटे पूर्व सूचना देना अनिवार्य कर दिया गया है।

दरअसल, बीते कुछ वर्षों में डिजिटल भुगतान का दायरा तेजी से बढ़ा है। मोबाइल बैंकिंग, UPI, नेट बैंकिंग और कार्ड आधारित भुगतान के साथ-साथ ऑटो-डेबिट सिस्टम भी आम लोगों के जीवन का हिस्सा बन चुका है। लोग होम लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड बिल, ओटीटी सब्सक्रिप्शन और बीमा प्रीमियम जैसी कई सेवाओं के लिए ऑटो-डेबिट का उपयोग करते हैं। लेकिन कई मामलों में यह देखा गया कि ग्राहकों को यह तक पता नहीं चलता कि उनके खाते से कब और कितनी राशि कट गई। कई बार राशि अपेक्षा से अधिक कट जाती थी या सेवा समाप्त होने के बाद भी कटौती जारी रहती थी। ऐसे मामलों में ग्राहकों को न केवल आर्थिक नुकसान होता था, बल्कि शिकायत प्रक्रिया भी जटिल और समय लेने वाली होती थी।

इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए RBI ने स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा है कि अब हर ऑटो-डेबिट ट्रांजैक्शन से पहले ग्राहक को SMS या ईमेल के जरिए नोटिफिकेशन भेजना अनिवार्य होगा।

इस नोटिफिकेशन में ट्रांजैक्शन की पूरी जानकारी—जैसे भुगतान की राशि, तारीख, सेवा का नाम और उद्देश्य—स्पष्ट रूप से दिया जाएगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ग्राहक पूरी तरह जागरूक रहे और उसे अपने खाते से होने वाली हर कटौती की पूर्व जानकारी मिले।

इस नए नियम की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह ग्राहकों को सिर्फ सूचना ही नहीं देता, बल्कि उन्हें नियंत्रण भी देता है। अब ग्राहक इस अलर्ट को प्राप्त करने के बाद तय समय सीमा के भीतर यह निर्णय ले सकता है कि वह भुगतान को मंजूरी देना चाहता है या नहीं। यदि ग्राहक को लगता है कि यह भुगतान अनावश्यक है या राशि गलत है, तो वह उसे रोक सकता है या उसमें बदलाव कर सकता है। इससे अनधिकृत ट्रांजैक्शन और धोखाधड़ी की घटनाओं में काफी हद तक कमी आने की उम्मीद है।

RBI के इस कदम को डिजिटल वित्तीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह नियम खासकर उन लोगों के लिए राहत लेकर आया है, जो तकनीकी रूप से बहुत अधिक जागरूक नहीं हैं या जिनके खाते से छोटी-छोटी रकम बार-बार कटती रहती थी। अब उन्हें हर ट्रांजैक्शन की जानकारी पहले ही मिल जाएगी, जिससे वे सतर्क रह सकेंगे।

इसके अलावा, RBI ने नियमों के उल्लंघन पर सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि यदि कोई बैंक या वित्तीय संस्था इन दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करती है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ग्राहक भी ऐसे मामलों में बैंकिंग लोकपाल के पास शिकायत दर्ज करा सकता है। इससे बैंक और सेवा प्रदाताओं की जवाबदेही बढ़ेगी और वे नियमों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे।

डिजिटल युग में जहां एक ओर सुविधाएं बढ़ रही हैं, वहीं जोखिम भी उतनी ही तेजी से सामने आ रहे हैं। ऐसे में RBI का यह कदम एक संतुलित प्रयास के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें सुविधा और सुरक्षा दोनों का ध्यान रखा गया है। अब ऑटो-डेबिट सिर्फ एक स्वचालित प्रक्रिया नहीं रहेगा, बल्कि एक नियंत्रित और पारदर्शी व्यवस्था के रूप में विकसित होगा, जिसमें अंतिम निर्णय का अधिकार ग्राहक के हाथ में होगा।

कुल मिलाकर, यह नया नियम न केवल ग्राहकों के विश्वास को मजबूत करेगा, बल्कि डिजिटल बैंकिंग प्रणाली को भी अधिक सुरक्षित और जवाबदेह बनाएगा। आने वाले समय में यह बदलाव देश में कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के साथ-साथ वित्तीय अनुशासन और जागरूकता को भी एक नई दिशा देगा।

पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले मतदाता सूची विवाद; लाखों लोगों के मताधिकार से वंचित होने की आशंका

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। पश्चिम बंगाल में मतदान के लिए केवल कुछ ही घंटे शेष हैं, ऐसे में चुनाव आयोग के अक्षम प्रशासन या किसी के इशारे पर काम करने में उसकी गैर-निष्पक्षता ने एक गंभीर स्थिति पैदा कर दी है, जहां लाखों नागरिक "मतदान" से वंचित हैं, जो लोकतंत्र का एक प्रमुख स्तंभ है।

पश्चिम बंगाल के चुनाव दो विरोधी विचारधाराओं के बीच एक बड़ा संघर्ष है और पूरा देश इसे देख रहा है। अगर इस महत्वपूर्ण चुनाव में लाखों योग्य मतदाताओं को उनके पवित्र संवैधानिक मताधिकार से वंचित किया जाता है, तो यह लोकतंत्र के लिए कलंक होगा। सवाल यह है कि अगर चुनाव आयोग की निष्क्रियता के कारण लाखों योग्य मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, तो क्या परिणाम को निष्पक्ष या सही माना जा सकता है? मतदाता सूचियों के विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) की प्रक्रिया के कारण पश्चिम बंगाल में उत्पन्न जटिलताओं ने आशंका पैदा कर दी है कि लाखों मतदाता अपने मताधिकार से वंचित हो सकते हैं। और चूंकि इस मुद्दे पर पूरे राज्य में जन आक्रोश है, इसलिए सवाल यह है कि अगर किसी कारणवश बाद में योग्य पाए गए मतदाताओं को मतदान से रोका जाता है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा?

समस्या यह है कि पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को मतदान होना है। फिर भी, बड़ी संख्या में नागरिक मतदाता सूची से बाहर हैं। लोगों के मतदान के अधिकार की रक्षा के लिए बनाई गई प्रक्रिया पर उठ रहे सवाल लोकतंत्र और संवैधानिक अधिकारों के दृष्टिकोण से बेहद चिंताजनक हैं। इस बात से शायद ही कोई असहमत होगा कि किसी भी अयोग्य व्यक्ति को मतदान का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। इसी तरह, किसी भी योग्य मतदाता को मात्र तकनीकी खामियों और जटिलताओं के आधार पर उसके मतदान के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

अजमेर-पालनपुर रेलखण्ड पर ब्लॉक के कारण रेल सेवाएँ प्रभावित

अजमेर मण्डल के अजमेर–पालनपुर रेलखण्ड के मध्य जवाली–रानी स्टेशनों के बीच ब्रिज संख्या 633 व 634 पर आरसीसी बॉक्स डालने हेतु ब्लॉक लिया जा रहा है, जिसके कारण रेल यातायात प्रभावित रहेगा। विवरण निम्नानुसार हैः

रद्द ट्रेनें

- ट्रेन सं. 14822 साबरमती–जोधपुर एक्सप्रेस, दिनांक 24.04.26 व 25.04.26 को रद्द रहेगी।
- ट्रेन सं. 14821 जोधपुर–साबरमती एक्सप्रेस, दिनांक 23.04.26 व 24.04.26 को रद्द रहेगी।

मार्ग परिवर्तित ट्रेनें

- ट्रेन सं. 20943 (बान्द्रा टर्मिनस–भगत की कोठी), जो दिनांक 23.04.26 को बान्द्रा टर्मिनस से प्रस्थान करेगी, परिवर्तित मार्ग महेसाना–भीलड़ी–लूनी होकर संचालित होगी। मार्ग में यह ट्रेन पाटन, भीलड़ी, मारवाड़ भीनमाल, जालोर, समदड़ी स्टेशनों पर रुकेगी।
- ट्रेन सं. 20694 (बैंगलुरू–जोधपुर), जो दिनांक 22.04.26 को बैंगलुरू से प्रस्थान करेगी, परिवर्तित मार्ग महेसाना–भीलड़ी–लूनी होकर संचालित होगी। मार्ग में यह ट्रेन पाटन, भीलड़ी, मारवाड़ भीनमाल, जालोर, समदड़ी स्टेशनों पर रुकेगी।
- ट्रेन सं. 20496 (हडपसर–जोधपुर), जो दिनांक 23.04.26 को हडपसर से प्रस्थान करेगी, परिवर्तित मार्ग महेसाना–भीलड़ी–लूनी होकर संचालित होगी। मार्ग में यह ट्रेन पाटन, भीलड़ी, मारवाड़ भीनमाल, जालोर, समदड़ी स्टेशनों पर रुकेगी।
- ट्रेन सं. 14701 (श्रीगंगानगर–बान्द्रा टर्मिनस), जो दिनांक 23.04.26 को श्रीगंगानगर से प्रस्थान करेगी, परिवर्तित मार्ग अजमेर–चित्तौड़गढ़–रतलाम–वडोदरा होकर संचालित होगी। मार्ग में यह ट्रेन भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, नीमच, मंदसौर स्टेशनों पर रुकेगी।

रीशेड्यूल ट्रेनें

- ट्रेन सं. 19411 (गांधीनगर कैपिटल–दौलतपुर चौक), दिनांक 24.04.26 को अपने निर्धारित समय से 01 घंटे 30 मिनट की देरी से प्रस्थान करेगी।
- ट्रेन सं. 19223 (साबरमती–जम्मूतवी), दिनांक 24.04.26 को अपने निर्धारित समय से 01 घंटे की देरी से प्रस्थान करेगी।

बर्फीली वादियों में गूंजा 'हर–हर महादेव', केदारनाथ के कपाट खुलते ही उमड़ा आस्था का सैलाब

देहरादून। हिमालय की गोद में बसे पवित्र केदारनाथ धाम में बुधवार सुबह वह ऐतिहासिक और भावनात्मक क्षण फिर लौट आया, जिसका इंतजार लाखों श्रद्धालु पूरे साल करते हैं। जैसे ही शुभ मुहूर्त में मंदिर के कपाट खुले, पूरा क्षेत्र "हर-हर महादेव" के गगनभेदी जयकारों से गूंज उठा और बर्फ से ढकी चोटियों के बीच आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। ठंडी हवाओं के बीच भक्तों की गर्मजोशी और श्रद्धा का ऐसा संगम देखने को मिला, जिसने वातावरण को पूरी तरह शिवमय बना दिया।

सुबह की पहली किरण के साथ ही कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। वैदिक मंत्रोच्चार, शंखनाद और घंटियों की ध्वनि के बीच परंपरागत विधि-विधान का पालन करते हुए मंदिर के द्वार खोले गए। ठीक प्रातः 8 बजे जैसे ही श्रद्धालुओं के लिए दर्शन प्रारंभ हुए, हजारों लोगों की भीड़ ने एक साथ भगवान शिव का जयघोष किया। यह केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि आस्था, विश्वास और आध्यात्मिक ऊर्जा का ऐसा महासंगम था, जिसने हर किसी को भावविभोर कर दिया।

इस विशेष अवसर पर मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया था। करीब 51 क्विंटल फूलों से सजे मंदिर की सुंदरता देखते ही बन रही थी। चारों ओर रंग-बिरंगे फूलों की खुशबू फैली हुई थी और उसी बीच हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा ने पूरे माहौल को दिव्यता से भर दिया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं देवता भी इस पावन क्षण के साक्षी बन रहे हों। श्रद्धालु इस अद्भुत दृश्य को अपने कैमरों में कैद करते नजर आए, लेकिन उससे कहीं अधिक वे इस क्षण को अपने हृदय में संजो रहे थे।

कपाट खुलने के साथ ही पहली पूजा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से संपन्न कराई गई, जो वर्षों से चली आ रही परंपरा का हिस्सा है। इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उपस्थित रहे। उन्होंने बाबा केदार के दर्शन कर प्रदेश और देश की सुख-समृद्धि की कामना की और कहा कि सरकार इस बार यात्रा को पहले से अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा की औपचारिक शुरुआत भी हो गई है और अब आने वाले दिनों में यहां श्रद्धालुओं की संख्या तेजी से बढ़ने की संभावना है। पिछले वर्ष 2025 में 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम में दर्शन किए थे, और इस बार यह आंकड़ा और भी आगे जाने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रशासन ने इस भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा, स्वास्थ्य और यातायात के व्यापक इंतजाम किए हैं। जगह-जगह मेडिकल कैंप, हेल्प डेस्क और आपातकालीन सेवाएं तैनात की गई हैं ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

धार्मिक परंपराओं के अनुसार, भगवान केदारनाथ की पंचमुखी डोली अपने शीतकालीन गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर, उखीमठ से यात्रा शुरू कर गुप्तकाशी, फाटा और गौरीकुंड होते हुए एक दिन पहले धाम पहुंची थी। इस पूरी यात्रा के दौरान भी भक्तों का उत्साह चरम पर रहा और जगह-जगह डोली का भव्य स्वागत किया गया।

वर्ष 2013 की विनाशकारी आपदा के बाद केदारनाथ धाम में जो व्यापक पुनर्निर्माण कार्य किए गए हैं, उनका सकारात्मक प्रभाव अब साफ दिखाई देता है। बेहतर आधारभूत ढांचा, सुव्यवस्थित मार्ग और आधुनिक सुविधाओं ने इस तीर्थ को पहले से कहीं अधिक सुरक्षित और सुलभ बना दिया है। यही कारण है कि हर साल यहां आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है।

बर्फ से ढकी चोटियों के बीच बसे इस पवित्र धाम में एक बार फिर आस्था की लौ प्रज्वलित हो चुकी है। कपाट खुलने के साथ ही श्रद्धालुओं के लिए भक्ति के द्वार खुल गए हैं और अब आने वाले महीनों में यह धाम लाखों लोगों की आस्था का केंद्र बना रहेगा। यहां पहुंचकर हर व्यक्ति के मन में एक ही भावना जागती है—समर्पण, शांति और भगवान शिव के प्रति अटूट विश्वास। यही केदारनाथ की महिमा है, जहां हर कदम पर भक्ति है और हर सांस में 'हर-हर महादेव' की गूंज सुनाई देती है।

गुजरात के स्थानीय चुनावों में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अवसर, राजनीतिक समीकरणों में चौंकाने वाले बदलाव की संभावना

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। गुजरात में स्थानीय निकाय चुनावों में इस बार आरक्षित सीटों पर सामान्य वर्ग, गरीब वर्ग और श्रमिक वर्ग के उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने का मौका मिला है और राजनीतिक दलों ने इन उम्मीदवारों का चयन कर लिया है। भाजपा ने अहमदाबाद के विश्व प्रसिद्ध गुर्जरी बाजार में कालीन बिछाने का काम करने वाली आशा दंतानी, कलोल की एक फैक्ट्री में झाड़ू बनाने का काम करने वाली उषा चौहान, मेहसाना स्थित भाजपा कार्यालय में चपरासी का काम करने वाले रमेश चंद्र भील, वडोदरा के स्कूल वैन चालक भूपेंद्र मच्छी और अहमदाबाद के रिक्शा चालक दशरथ पटनी को मैदान में उतारा है।

दूसरी ओर, घर के सदस्य चुनावी मैदान में एक-दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। सुरेंद्रनगर में सास आम आदमी पार्टी (आप) से और बहू भाजपा से चुनाव लड़ रही हैं। अमरेली में देरानी और जेठानी आमने-सामने हैं। जेठानी भाजपा से और देरानी कांग्रेस से चुनाव लड़ रही हैं। अन्य राज्यों में कॉलेज के छात्र भी चुनाव लड़ने के मूड में हैं। भावनगर की कॉलेज छात्रा आर्ची कुकड़िया कांग्रेस से चुनाव लड़ रही हैं, वहीं बगसारा में रहने वाले और नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे विश्व नाकुम

भाजपा उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं।

इस प्रकार, वर्तमान नगरपालिका, नगर पालिका, तालुका पंचायत और जिला पंचायत चुनावों के परिणाम चटनी की चटनी की तरह चौंकाने वाले हो सकते हैं, जिससे विभाजन और फूट की राजनीति को और बढ़ावा मिलेगा, और यह आश्चर्य की बात नहीं होगी यदि स्थिति "जिसके तड़ में लड्डू उसके तड़ में हम" जैसी न हो जाए?

सूरत में एजुकेशन का नया मॉडल: BMU–HCL GUVI साझेदारी से स्टूडेंट्स को मिलेंगे भविष्य के स्किल्स, करियर को मिलेगा ग्लोबल आयाम

सूरत में उच्च शिक्षा और इंडस्ट्री के बीच की दूरी को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और दूरदर्शी पहल सामने आई है। भगवान महावीर यूनिवर्सिटी ने 22 अप्रैल 2026 को HCL GUVI के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं, जो न केवल छात्रों के करियर को नई दिशा देगा, बल्कि शिक्षा के पारंपरिक ढांचे को भी आधुनिक इंडस्ट्री की जरूरतों के अनुरूप ढालने का काम करेगा।

यह साझेदारी ऐसे समय में हुई है, जब तेजी से बदलती तकनीक और डिजिटल अर्थव्यवस्था के दौर में पारंपरिक डिग्री से अधिक स्किल्स और प्रैक्टिकल नॉलेज की मांग बढ़ गई है।

इस सहयोग का मूल उद्देश्य "नई पहल, नया विज़न—करियर बिल्डिंग" के तहत छात्रों को सिर्फ सैद्धांतिक ज्ञान तक सीमित न रखकर उन्हें वास्तविक उद्योग जगत के लिए तैयार करना है। BMU पिछले कुछ वर्षों से लगातार इंडस्ट्री इंटीग्रेशन की दिशा में काम कर रहा है और यह MoU उसी प्रयास की एक मजबूत कड़ी के रूप में देखा जा रहा है।

इस साझेदारी के तहत इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन, साइंस, कॉमर्स और मैनेजमेंट जैसे विभिन्न शैक्षणिक क्षेत्रों में इंडस्ट्री-इंटीग्रेटेड कोर्स शुरू किए जाएंगे, जिनका पाठ्यक्रम सीधे इंडस्ट्री की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा।

इस पहल की सबसे खास बात यह है कि छात्रों को उन उभरते और हाई-डिमांड क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया जाएगा, जो आने वाले वर्षों में जॉब मार्केट को परिभाषित करेंगे। इनमें Artificial Intelligence, Data Science, जेनरेटिव AI, Cyber Security, फुल स्टैक डेवलपमेंट और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्र शामिल हैं। इन विषयों में न केवल थ्योरी पढ़ाई जाएगी, बल्कि

हैंड्स-ऑन ट्रेनिंग, लाइव प्रोजेक्ट्स और रियल-टाइम केस स्टडीज के माध्यम से छात्रों को व्यावहारिक अनुभव भी दिया जाएगा, जिससे वे इंडस्ट्री में प्रवेश करते ही तुरंत काम करने के लिए तैयार हों।

डॉ. एस. एस. मंथा, जो BMU के प्रेसिडेंट और AICTE के पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं, ने इस साझेदारी को शिक्षा के क्षेत्र में एक "पैराडाइम शिफ्ट" बताया। उनके अनुसार, यह पहल "इंडस्ट्री के लिए, इंडस्ट्री द्वारा" के सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें इंडस्ट्री खुद यह तय करेगी कि छात्रों को किन स्किल्स की जरूरत है और उसी के अनुरूप उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। इससे छात्रों को न केवल रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे, बल्कि वे जॉब क्रिएटर्स बनने की दिशा में भी आगे बढ़ सकेंगे।

इस साझेदारी का एक और महत्वपूर्ण पहलू है—मेंटोरशिप और इंटर्नशिप। HCL GUVI के विशेषज्ञ सीधे छात्रों के साथ जुड़कर उन्हें मार्गदर्शन देंगे। इसके अलावा, वर्चुअल इंटर्नशिप और लाइव इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स के माध्यम से छात्रों को वास्तविक कार्य अनुभव प्राप्त होगा। यह मॉडल पारंपरिक इंटर्नशिप से अलग है, क्योंकि इसमें छात्रों को डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए वैश्विक स्तर के प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका मिलेगा।

डॉ. रामा कुमार अंबातिपुडी और विनोद श्रीनिवासन ने इस MoU को एक नए एजुकेशनल मॉडल की शुरुआत बताया, जिसमें शिक्षा और उद्योग के बीच की खाई को पूरी तरह पाटने का प्रयास किया जा रहा है। उनके अनुसार, अब समय आ गया है कि विश्वविद्यालय केवल डिग्री देने वाले संस्थान न रहकर स्किल डेवलपमेंट और इनोवेशन के केंद्र बनें।

MoU साइनिंग सेरेमनी यूनिवर्सिटी कैंपस में आयोजित की गई, जिसमें डॉ. विजय मतवाला सहित HCL के वरिष्ठ अधिकारी और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में इस बात पर जोर दिया गया कि आने वाले समय में शिक्षा का स्वरूप पूरी तरह बदलने वाला है, जहां पारंपरिक क्लासरूम लर्निंग के साथ-साथ डिजिटल और एक्सपीरिएंशियल लर्निंग का महत्व बढ़ेगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की साझेदारियां भारत के शिक्षा क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। आज के दौर में कंपनियां ऐसे उम्मीदवारों की तलाश में हैं, जो केवल किताबों तक सीमित न होकर वास्तविक समस्याओं का समाधान कर सकें। BMU और HCL GUVI की यह पहल इसी दिशा में एक बड़ा कदम है, जो छात्रों को "फ्यूचर-रेडी" बनाने में मदद करेगी।

कुल मिलाकर, यह MoU केवल एक औपचारिक समझौता नहीं, बल्कि शिक्षा के भविष्य की झलक है—जहां विश्वविद्यालय और उद्योग मिलकर एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं, जिसमें छात्र न केवल सीखते हैं, बल्कि नवाचार करते हैं, अनुभव प्राप्त करते हैं और अपने करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। आने वाले वर्षों में यह मॉडल अन्य संस्थानों के लिए भी एक प्रेरणा बन सकता है, जिससे भारत का शिक्षा तंत्र और अधिक सशक्त और प्रासंगिक बन सके।

प्रयागराज स्टेशन पर नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य के कारण ट्रेनों का मार्ग परिवर्तन

प्रयागराज स्टेशन पर यार्ड रीमॉडलिंग कार्य के तहत नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य किया जाएगा। इसके कारण निम्नलिखित ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से संचालित किया जाएगा—

ट्रेन संख्या 15560 अहमदाबाद–दरभंगा एक्सप्रेस

जो दिनांक 24.04.2026 को अहमदाबाद से प्रस्थान करेगी, अपने निर्धारित मार्ग माणिकपुर–प्रयागराज–प्रयागराज रामबाग–वाराणसी–औंड़िहार के स्थान पर माणिकपुर–प्रयागराज छिवकी–जीवनाथपुर–वाराणसी–जौनपुर–औंड़िहार होकर चलेगी।

ट्रेन संख्या 15559 दरभंगा–अहमदाबाद एक्सप्रेस

जो दिनांक 29.04.2026 को दरभंगा से प्रस्थान करेगी, अपने निर्धारित मार्ग औंड़िहार–वाराणसी–प्रयागराज रामबाग–प्रयागराज–माणिकपुर के स्थान पर औंड़िहार–जौनपुर–वाराणसी–जीवनाथपुर–प्रयागराज छिवकी–माणिकपुर होकर चलेगी।

ट्रेन संख्या 19421 अहमदाबाद–पटना एक्सप्रेस

जो दिनांक 26.04.2026 को अहमदाबाद से प्रस्थान करेगी, अपने निर्धारित मार्ग माणिकपुर–प्रयागराज–प्रयागराज रामबाग–वाराणसी–पं. दीन दयाल उपाध्याय के स्थान पर माणिकपुर–प्रयागराज छिवकी–मिर्जापुर–पं. दीन दयाल उपाध्याय होकर चलेगी।

ट्रेन संख्या 19422 पटना–अहमदाबाद एक्सप्रेस

जो दिनांक 28.04.2026 को पटना से प्रस्थान करेगी, अपने निर्धारित मार्ग पं. दीन दयाल उपाध्याय–वाराणसी–प्रयागराज रामबाग–प्रयागराज–माणिकपुर के स्थान पर पं. दीन दयाल उपाध्याय–मिर्जापुर–प्रयागराज छिवकी–माणिकपुर होकर चलेगी।

ट्रेन संख्या 09447 अहमदाबाद–पटना विशेष ट्रेन

जो दिनांक 29.04.2026 को अहमदाबाद से प्रस्थान करेगी, अपने निर्धारित मार्ग आगरा फोर्ट–टूंडला–प्रयागराज–पं. दीन दयाल उपाध्याय के स्थान पर आगरा कैंट–वीरांगना लक्ष्मीबाई (झांसी)–माणिकपुर–प्रयागराज छिवकी–पं. दीन दयाल उपाध्याय होकर चलेगी।

उपरोक्त सभी ट्रेनों को प्रयागराज छिवकी स्टेशन पर 02 मिनट का अस्थायी ठहराव प्रदान किया गया है।

बाड़मेर में दर्दनाक सड़क हादसा: स्कूल बस को ट्रक की टक्कर, एक की मौत, कई बच्चे गंभीर घायल

बाड़मेर। राजस्थान के बायतू क्षेत्र में बुधवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। बायतू-जोधपुर चौराहे के पास बच्चों को लेने के लिए खड़ी एक निजी स्कूल बस को पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस का पिछला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और मौके पर चीख-पुकार मच गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कई मासूम बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिससे पूरे क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल बन गया है।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, स्कूल बस रोज की तरह सुबह बच्चों को लेने के लिए सड़क किनारे रुकी हुई थी। बस में करीब दो दर्जन बच्चे सवार थे और कुछ बच्चे चढ़ने-उतरने की प्रक्रिया में थे, तभी अचानक पीछे से तेज गति से आए ट्रक ने बस को टक्कर मार दी। इस अचानक हुए हादसे से बस में बैठे बच्चों में अफरा-तफरी मच गई और कई बच्चे अपनी सीटों से उछलकर गिर पड़े। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया और घायलों

को तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। घायलों को पहले बायतू के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार शुरू किया। हादसे की सूचना मिलते ही बच्चों के परिजन भी अस्पताल पहुंचने लगे, जहां का माहौल बेहद भावुक और तनावपूर्ण हो गया। माता-पिता अपने बच्चों की हालत देखकर बेहद व्यथित नजर आए और कई लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी भी जाहिर की। अभिभावकों ने इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

हादसे में घायल हुए 9 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए जोधपुर के बड़े अस्पताल में रेफर किया गया है। इन बच्चों को फ्रैक्चर और अन्य गंभीर चोटें आई हैं और डॉक्टरों की विशेष टीम उनकी निगरानी कर रही है। अस्पताल प्रशासन ने सभी जरूरी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है और लगातार स्थिति पर नजर रखी जा रही है।

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र को नियंत्रण में लिया। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में हादसे की मुख्य वजह ट्रक चालक की तेज रफ्तार और लापरवाही मानी जा रही है। हालांकि, पुलिस स्कूल बस के दस्तावेजों की भी जांच कर रही है, जिसमें फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट और चालक की वैधता शामिल है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कहीं किसी स्तर पर नियमों का उल्लंघन तो नहीं हुआ।

घटना के बाद स्थानीय जनप्रतिनिधि और भाजपा नेता बालाराम मूंढ भी मौके पर पहुंचे और अस्पताल जाकर घायलों का हालचाल जाना। उन्होंने डॉक्टरों से इलाज की स्थिति की जानकारी ली और प्रशासन को निर्देश दिए कि सभी घायलों को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है, ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं से बचा जा सके।

सोना वायदा 1479 रुपये, चांदी वायदा 3885 रुपये और क्रूड ऑयल वायदा 31 रुपये बढ़ा

मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 154721.67 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 20902.72 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 133818.51 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का अप्रैल वायदा 36894 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 2104.8 करोड़ रुपये का हुआ।

कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 13369.77 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना जून वायदा सत्र के आरंभ में 153335 रुपये के भाव पर खूलकर, 153699 रुपये के दिन के उच्च और 153001 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 151671 रुपये के पिछले बंद के सामने 1479 रुपये या 0.98 फीसदी की बढ़त के साथ 153150 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर कारोबार कर रहा था। गोल्ड-गिनी अप्रैल वायदा 661 रुपये या 0.54 फीसदी की तेजी के संग 122051 रुपये प्रति 8 ग्राम हुआ। गोल्ड-पेटल अप्रैल वायदा 81 रुपये या 0.53 फीसदी की तेजी के संग 15301 रुपये प्रति 1 ग्राम हुआ। सोना-मिनी मई वायदा सत्र के आरंभ में 151299 रुपये के भाव पर खूलकर, 152198 रुपये के दिन के उच्च और 151299 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 1398 रुपये या 0.93 फीसदी की तेजी के संग 151674 रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ। गोल्ड-टेन अप्रैल वायदा प्रति 10 ग्राम सत्र के आरंभ में 150748 रुपये के भाव पर खूलकर, 152275 रुपये के दिन के उच्च और 150748 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 150537 रुपये के पिछले बंद के सामने 1237 रुपये या 0.82 फीसदी की तेजी के संग 151774 रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ।

चांदी के वायदाओं में चांदी मई वायदा 248717 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 250698 रुपये और नीचे में 248042 रुपये पर पहुंचकर, 244701 रुपये के पिछले बंद के सामने 3885 रुपये या 1.59 फीसदी बढ़कर 248586 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था। इनके अलावा चांदी-मिनी अप्रैल वायदा 3988 रुपये या 1.62 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 250474 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि चांदी-माइक्रो अप्रैल वायदा 3990

रुपये या 1.62 फीसदी बढ़कर 250570 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था।

मेटल वर्ग में 3300.93 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा अप्रैल वायदा 11.7 रुपये या 0.92 फीसदी की तेजी के संग 1276.75 रुपये प्रति किलो हुआ। जबकि जस्ता अप्रैल वायदा 5.85 रुपये या 1.7 फीसदी की तेजी के संग 349.3 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा। इसके सामने एल्यूमीनियम अप्रैल वायदा 5.9 रुपये या 1.62 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 371.2 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि सीसा अप्रैल वायदा 30 पैसे या 0.15 फीसदी टूटकर 196.15 रुपये प्रति किलो हुआ।

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 4174.22 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल मई वायदा सत्र के आरंभ में 8391 रुपये के भाव पर खूलकर, 8604 रुपये के दिन के उच्च और 8240 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 31 रुपये या 0.37 फीसदी की तेजी के संग 8468 रुपये प्रति बैरल हुआ। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी मई वायदा 25 रुपये या 0.3 फीसदी की तेजी के संग 8465 रुपये प्रति बैरल के भाव पर पहुंचा। इनके अलावा नैचुरल गैस अप्रैल वायदा सत्र के आरंभ में 254.2 रुपये के भाव पर खूलकर, 257 रुपये के दिन के उच्च और 253.8 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 252.3 रुपये के पिछले बंद के सामने 3.2 रुपये या 1.27 फीसदी की तेजी के संग 255.5 रुपये प्रति एमएमबीटीयू हुआ। जबकि नैचुरल गैस-मिनी अप्रैल वायदा 3.2 रुपये या 1.27 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 255.6 रुपये प्रति एमएमबीटीयू पर आ गया।

▸▸ कमोडिटी वायदाओं में 20902.72 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 133818.51 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर : सोना-चांदी के वायदाओं में 13369.77 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार : बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 36894 पॉइंट के स्तर पर

कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल अप्रैल वायदा सत्र के आरंभ में 1009 रुपये के भाव पर खूलकर, 1.7 रुपये या 0.17 फीसदी की गिरावट के साथ 1002 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 6877.48 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 6492.29 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 2277.72 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 590.36 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 15.04 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 407.23 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 3095.82 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 1067.25 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। मेंथा ऑयल के वायदा में 5.12 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। जबकि कॉटन केंडी के वायदाओं में 0.07 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 9767 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 59504 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 27890 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 376557 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 64587 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 7960 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 25565 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 92671 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 15096 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 35405 लोट के स्तर पर था।

इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स अप्रैल वायदा 36894 पॉइंट पर खूलकर, 36894 के उच्च और 36848 के नीचले स्तर को छूकर, 131 पॉइंट बढ़कर 36894 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था।

कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल मई 10000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 14.2 रुपये की गिरावट के साथ 344 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस अप्रैल 255 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 1.05 रुपये की बढ़त के साथ 4.25 रुपये हुआ।

सोना अप्रैल 155000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 180 रुपये की बढ़त के साथ 1305.5 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी अप्रैल 255000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 101.5 रुपये की बढ़त के साथ 1331 रुपये हुआ। तांबा अप्रैल 1300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 69 पैसे के सुधार के साथ 2.53 रुपये हुआ। जस्ता अप्रैल 330 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 6.56 रुपये की बढ़त के साथ 18.91 रुपये हुआ।

पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल मई 7000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 13.8 रुपये की गिरावट के साथ 139.2 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस अप्रैल 255 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 2.25 रुपये की गिरावट के साथ 3.6 रुपये हुआ।

सोना अप्रैल 145000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 247.5 रुपये की गिरावट के साथ 373 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी अप्रैल 240000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 1502.5 रुपये की गिरावट के साथ 1000.5 रुपये हुआ। तांबा अप्रैल 1050 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 12 पैसे की नरमी के साथ 0.1 रुपये हुआ। जस्ता अप्रैल 330 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 32 पैसे की नरमी के साथ 0.03 रुपये हुआ।

बुलेट ट्रेन परियोजना के अंतर्गत ब्लाक के कारण अहमदाबाद मंडल से चलने/गुजरने वाली ट्रेनें प्रभावित

पश्चिम रेलवे द्वारा यात्री सुविधाओं के उन्नयन तथा रेलवे अवसंरचना को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से, बुलेट ट्रेन परियोजना के अंतर्गत गेरतपुर–अहमदाबाद खंड पर चौथे प्रीकास्टेड पोर्टल बीम के लॉन्चिंग कार्य हेतु दिनांक 24 अप्रैल 2026 को ट्रैफिक ब्लॉक लिया जाएगा। इस महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग कार्य के कारण निम्नलिखित ट्रेन सेवाएं प्रभावित रहेंगी।

शॉर्ट टर्मिनेशन / ओरिजिनेशन ट्रेनें

ट्रेन संख्या 20902 गांधीनगर केपिटल–मुंबई सेंट्रल वंदे भारत एक्सप्रेस को दिनांक 24 अप्रैल 2026 को अहमदाबाद स्टेशन से प्रारंभ किया जाएगा तथा गांधीनगर केपिटल–अहमदाबाद के बीच निरस्त रहेगी।

ट्रेन संख्या 20901 मुंबई सेंट्रल–गांधीनगर केपिटल वंदे भारत एक्सप्रेस को दिनांक 24 अप्रैल 2026 को वटवा स्टेशन पर समाप्त (शॉर्ट टर्मिनेट) किया जाएगा तथा वटवा–गांधीनगर केपिटल के बीच निरस्त रहेगी।

पुनर्निर्धारण (Rescheduling)

ट्रेन संख्या 12009 मुंबई सेंट्रल–अहमदाबाद शताब्दी एक्सप्रेस दिनांक 24 अप्रैल 2026 को मुंबई सेंट्रल से 1 घंटा 15 मिनट विलंब से प्रस्थान करेगी।

निरस्त ट्रेनें (Cancelled Trains)

▸▸ ट्रेन संख्या 69102 वटवा–वडोदरा मेमू दिनांक 24 अप्रैल 2026 को निरस्त रहेगी।

▸▸ ट्रेन संख्या 69115 वडोदरा–वटवा मेमू दिनांक 24 अप्रैल 2026 को निरस्त रहेगी।

▸▸ ट्रेन संख्या 22959 वडोदरा–जामनगर इंटरसिटी दिनांक 23 अप्रैल 2026 को निरस्त रहेगी।

▸▸ ट्रेन संख्या 22960 जामनगर–वडोदरा इंटरसिटी दिनांक 24 अप्रैल 2026 को निरस्त रहेगी।

आंशिक निरस्त (Partial Cancellation)

ट्रेन संख्या 19033 वलसाड़–अहमदाबाद गुजरात क्वीन दिनांक 24 अप्रैल 2026 को वडोदरा–अहमदाबाद के बीच आंशिक रूप से निरस्त रहेगी।

विनियमन (Regulation of Trains)

ट्रेन संख्या 19484 आसनसोल–अहमदाबाद एक्सप्रेस दिनांक 24 अप्रैल 2026 को वडोदरा मंडल में 1 घंटा 40 मिनट रेगुलेट की जाएगी।

ट्रेन संख्या 12834 हावड़ा–अहमदाबाद एक्सप्रेस दिनांक 24 अप्रैल 2026 को वडोदरा मंडल में 1 घंटा 40 मिनट रेगुलेट की जाएगी।

ट्रेन संख्या 12755 काकीनाड़ा पोर्ट–भावनगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस दिनांक 24 अप्रैल 2026 को वडोदरा मंडल में लगभग 45 मिनट रेगुलेट की जाएगी।

ट्रेन संख्या 12474 श्री माता वैष्णो देवी कटरा–गांधीधाम एक्सप्रेस दिनांक 24 अप्रैल 2026 को वडोदरा मंडल में 1 घंटा 45 मिनट रेगुलेट की जाएगी।

यात्रियों से अनुरोध है कि ट्रेनों के समय, ठहराव एवं अन्य अद्यतन जानकारी के लिए www.enquiry.indianrail.gov.in का अवलोकन करें।

कुंभलगढ़ का जंगल बना अग्निकुंड: चार दिनों से बेकाबू आग ने बढ़ाई चिंता, वन्यजीवों पर मंडराया संकट

पाली। राजस्थान के पाली जिले में स्थित कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य इन दिनों भीषण आग की चपेट में है, जिसने पूरे क्षेत्र को भय और अनिश्चितता के माहौल में डाल दिया है। पिछले चार दिनों से लगातार धधक रही यह आग अब तक काबू में नहीं आ सकी है और तेज हवाओं के कारण तेजी से फैलती जा रही है। नलवानिया बांध नाल और आसपास के पर्वतीय इलाकों से शुरू हुई आग ने देखते ही देखते विशाल वन क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया है, जिससे हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं।

दिन के समय आसमान में उठता घना धुआं और रात के अंधेरे में दूर-दूर तक दिखाई देती आग की लपटें इस आपदा की भयावहता को साफ बयां कर रही हैं। सादड़ी कस्बे की ऊंची इमारतों और आसपास के गांवों से लोग इस खौफनाक मंजर को देख रहे हैं, जहां जंगल जलता हुआ साफ नजर आ रहा है। आग की लपटें इतनी ऊंची उठ रही हैं कि कई किलोमीटर दूर से भी उनका दृश्य देखा जा सकता है। तेज हवाएं आग को और भड़का रही हैं, जिससे यह

लगातार नए इलाकों में फैलती जा रही है और नियंत्रण की कोशिशें और कठिन होती जा रही हैं।

वन विभाग और प्रशासन की टीमें लगातार मौके पर डटी हुई हैं और आग बुझाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियां और ऊबड़-खाबड़ पहाड़ी इलाकों के कारण राहत और बचाव कार्यों में काफी मुश्किलें आ रही हैं। कई स्थान ऐसे हैं जहां पहुंचना बेहद कठिन है, जिससे आग पर नियंत्रण पाने में देरी हो रही है। लगातार बदलती हवा की दिशा भी आग बुझाने के प्रयासों को प्रभावित कर रही है, जिससे स्थिति और जटिल बनती जा रही है। इस भीषण आग ने वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचाया है। हजारों पेड़-पौधे, झाड़ियां और घास जलकर राख हो चुके हैं, जिससे पूरे पारिस्थितिकी तंत्र पर गहरा असर पड़ रहा है। यह क्षेत्र न केवल जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में भी इसकी अहम भूमिका है। ऐसे में इस तरह की आग का दीर्घकालिक प्रभाव पड़ना तय माना जा रहा है। सबसे ज्यादा चिंता का विषय यहां के वन्यजीव हैं, जो इस आग के कारण अपने प्राकृतिक आवास से बेघर हो रहे हैं। छोटे-बड़े जानवर अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भाग रहे हैं, जिससे उनकी सुरक्षा पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। कई जीव आग की चपेट में आने से घायल हो चुके हैं, जबकि कुछ के मरने की आशंका भी जताई जा रही है। इस स्थिति ने वन्यजीव संरक्षण को लेकर नई चिंता खड़ी कर दी है।

स्थानीय लोगों में भी दहशत का माहौल है, क्योंकि आग तेजी से आबादी वाले क्षेत्रों के करीब पहुंचती जा रही है। हालांकि अभी तक किसी बड़े जनहानि की खबर नहीं है, लेकिन खतरा लगातार बना हुआ है। प्रशासन की ओर से सतर्कता बरतने और लोगों को सुरक्षित रहने की सलाह दी जा रही है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि जल्द ही इस आग पर काबू नहीं पाया गया, तो इसका असर और भी व्यापक हो सकता है। यह न केवल वन क्षेत्र को नुकसान पहुंचाएगा, बल्कि आसपास के पर्यावरण, जल स्रोतों और जैव विविधता पर भी गहरा प्रभाव डालेगा। ऐसे में जरूरी है कि आधुनिक तकनीकों और संसाधनों का उपयोग कर आग बुझाने के प्रयासों को और तेज किया जाए।

कुल मिलाकर, कुंभलगढ़ का यह जंगल इन दिनों एक बड़े संकट से गुजर रहा है, जहां हर गुजरता दिन स्थिति को और गंभीर बना रहा है। प्रशासन और वन विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस आग को जल्द से जल्द नियंत्रित करने की है, ताकि इस अमूल्य प्राकृतिक धरोहर को और अधिक नुकसान से बचाया जा सके।